एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(एपीडा)

एपीडा
APEDA

वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात
विकास प्राधिकरण (एपीडा)

विषय सूची

1.	**एपीडा की स्थापना**	**1**
1.1.	एपीडा–संगठनात्मक संरचना	1
1.2	निर्दिष्ट कार्य	3
1.3.	एपीडा अनुसूचित उत्पाद	4
1.4.	एपीडा प्राधिकरण का गठन	5
1.5.	प्रशासनिक तंत्र	6
2.	**एपीडा का निर्यात परिदृश्य**	**7**
2.1	कृषि निर्यात में एपीडा का हिस्सा (अप्रैल 2016–मार्च 2017)	7
2.2	15 बाजारों में एपीडा के निर्यात का हिस्सा	7
2.3	एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार	8
2.4	एपीडा का निर्यात प्रदर्शन	12
3.	**प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य**	**13**
4.	**एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण**	**13**
4.1	पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)	13
4.2	पंजीकरण व आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)	14
4.2.1	बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी	14
4.2.2	चीनी के आयात के लिए आरसीएसी	14
4.2.3	मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई)	14
5.	**एपीडा मे राजभाषा का कार्यान्वयन**	**14**
6.	**एपीडा कृषि निर्यात संवर्धन योजना**	**15**
6.1	बाजार विकास	15
6.2	अवसंरचना विकास	15
6.3	परिवहन सहायता	15
6.4	गुणवत्ता विकास	15

एपीडा
APEDA

विषय सूची

7. एपीडा की ई–शासन प्रणाली 16
- 7.1 सरलीकरण हेतु प्रमुख पहल 16
- 7.2 सरलीकरण के लिए किए गए अन्य पहल 16

8. उत्पाद श्रेणियों में मुख्य विकास/उपलब्धियाँ 17
- 8.1 बागवानी क्षेत्र 17
- 8.2 अनाज क्षेत्र 19
- 8.3 संसाधित और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र 20
- 8.4 पशुधन क्षेत्र 21
- 8.5 जैविक क्षेत्र 21
- 8.6 अवसंरचना सुविधाओं का विकास 24
- 8.7 गुणवत्ता विकास 25

9. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी 25
- 9.1 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 25
- 9.2 संवर्धन कार्यक्रम 27
- 9.3 राष्ट्रीय आयोजन 27

10. एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय के क्रियाकलाप 30
- 10.1 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई 30
- 10.2 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू 32
- 10.3 एनईआर क्षेत्र में पहल एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी 33
- 10.4 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता 34
- 10.5 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद 35

1. एपीडा की स्थापना

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना संसद द्वारा दिसंबर 1985 में पारित किए गए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह अधिसूचना (1986 का 2) भारत के राजपत्रः असाधारणः भाग–II (धारा 3 (ii): 13.2.1986) में जारी एक अधिसूचना द्वारा 13 फरवरी, 1986 से लागू हुआ। प्राधिकरण ने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (पीएफईपीसी) को प्रतिस्थापित कर दिया।

एपीडा अधिनियम के अध्याय V धारा 21 (2) के संदर्भ में, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों, नीति और कार्यक्रमों के बारे में सटीक और संपूर्ण लेखा–जोखा देते हुए प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जिसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सकता है। यह वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

1.1 एपीडा संगठनात्मक संरचना

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जिसके प्रमुख एपीडा के अध्यक्ष है।

एपीडा ने मुम्बई, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है।

एपीडा 30 वर्षो से कृषि निर्यात समुदाय की सेवा में कार्यरत है। एपीडा के बारे में बुनियादी जानकारी, अपने कार्यों, उद्यमियों/भावी निर्यातकों को पंजीकरण और वित्तीय सहायता योजनाओं आदि के प्रसार के लिए संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में निर्यातकों की विदेशों तक पहुँच बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, नागालैंड, में 5 आभासी कार्यालय उपलब्ध है।

एपीडा मुख्यालय

- एपीडा दिल्ली

एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय

- एपीडा मुम्बई
- एपीडा कोलकाता
- एपीडा हैदराबाद
- एपीडा बेंगलुरू
- एपीडा गुवाहाटी

एपीडा आभासी कार्यालय

- एपीडा उत्तर प्रदेश
- एपीडा आंध्र प्रदेश
- एपीडा अरूणाचल प्रदेश
- एपीडा छत्तीसगढ़
- एपीडा नागालैण्ड

1.2 निर्दिष्ट कार्य

कृषि एंव प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्रधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का दूसरा), के अनुसार प्राधिकरण को निम्न कार्य सौंपे गए हैं।

(क) सर्वेक्षण और व्यावहारिक अध्ययन के द्वारा संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी में सहभागिता तथा अन्य अनुदानों के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से सम्बंधित उद्योगों का विकास।

(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर, अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना।

(ग) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों के मानक और विशिष्टियां तय करना।

(घ) बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भण्डारण परिसरों, वाहनों अथवा ऐसे अन्य स्थानों जहाँ ऐसे उत्पाद रखे या संभाले जाते हैं, माँस एवं माँस उत्पाद का निरीक्षण करना। जिससे कि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

(ड़) अनुसूचित उत्पादों की पैकिंग में सुधार लाना।

(च) भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार।

(छ) निर्यातोन्मुख उत्पादों को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।

(ज) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन अथवा निर्यात में प्रवृत्त कारखानों अथवा संस्थानों के मालिकों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों से जो कि अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले में निर्धारित किए गए किन्हीं अन्य व्यक्तियों से आंकडों का संग्रह करना और इस तरह संग्रह किए गए आंकडों अथवा उनके किन्ही अंशों अथवा उनके उद्धरणों को प्रकाशित करना।

(झ) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ञ) निर्धारित किए गये ऐसे अन्य मामले।

1.3. एपीडा अनुसूचित उत्पाद

एपीडा को निर्यात संवर्धन तथा विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। एपीडा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अधिसूचित उत्पाद निम्नलिखित हैं।

1.	फल, सब्जियां तथा उनके उत्पाद
2.	मांस तथा मांस उत्पाद
3.	कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद
4.	डेयरी उत्पाद
5.	कन्फेक्शरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद
6.	शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद
7.	कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट
8.	मादक तथा गैर मादक पेय–पदार्थ
9.	अनाज तथा अनाज उत्पाद
10.	मूंगफली तथा अखरोट
11.	अचार, पापड़ और चटनी,
12.	ग्वारगम
13.	पुष्पकृषि तथा पुष्पकृषि उत्पाद
14.	जड़ी–बूटी तथा औषधीय उत्पाद

एपीडा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में बासमती चावल को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त एपीडा को चीनी के आयात के परिवीक्षण का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है।

एपीडा जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु निर्मित जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निकायों के प्रमाणीकरण को कार्यान्वित करने हेतु स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी) की सेवाओं हेतु सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ''जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण तथा पैकिंग करने पर उत्पादों को जैविक उत्पाद प्रमाणित किया जाता है और निर्यात किया जाता है।

1.4. एपीडा प्राधिकरण का गठन

संविधि द्वारा निर्धारित एपीडा प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य शामिल है यथा:

- केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष।
- भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, पदेन।
- नीति अयोग का प्रतिनिधित्व करनें वाला एक सदस्य जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोकसभा एवं एक राज्यसभा से चुना जाता है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्य जो कि केन्द्र सरकार के निम्न से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  - (I) कृषि और ग्रामीण विकास
  - (ii) वाणिज्य
  - (iii) वित्त
  - (iv) उद्योग
  - (v) खाद्य
  - (vi) नागरिक आपूर्ति
  - (vii) नागर विमानन
  - (viii) जहाजरानी एवं परिवहन
- केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्णानुक्रम के अनुसार बारी–बारी से नियुक्त किया जाता है।
- **केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगें।**
  - I) भारत कृषि अनुसंधान परिषद
  - ii) राष्ट्रीय बागवनी बोर्ड
  - iii) राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
  - iv) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान
  - v) भारत पैकेजिंग संस्थान
  - vi) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद तथा
  - vii) काजू निर्यात संवर्धन परिषद।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बाहरी सदस्य जो निम्न का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  - a) फल एवं सब्जी उत्पाद उद्योग
  - b) मांस कुक्कुट और डेयरी उत्पाद उद्योग
  - c) अन्य अधिसूचित उत्पाद उद्योग
  - d) पैकेजिंग उद्योग
- केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि, अर्थशास्त्र तथा अधिसूचित उत्पादों के विपणन के क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिकों में से नियुक्त दो सदस्य

1.5. प्रशासनिक तंत्र

अध्यक्ष – केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त

निदेशक – एपीडा द्वारा नियुक्त

सचिव – केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त

अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी – एपीडा द्वारा नियुक्त

एपीडा अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्राधिकरण अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

ए. बी. सी एवं डी की विभिन्न श्रेणियों (अध्यक्ष सहित') में कुल स्वीकृत कार्यबल 124* है।

प्राधिकरण के अध्यक्ष

श्री कृष्ण कुमार ने 01.04.2016 से 15.07.2016 तक अध्यक्ष, एपीडा का कार्यभार संभाला।

श्रीमती अनिता प्रवीण ने 22.07.2016 से 24.11.2016 तक अध्यक्ष, एपीडा का कार्यभार संभाला।

श्री डी.के. सिंह ने 25.11.2016 से 31.03.2017 तक अध्यक्ष, एपीडा का कार्यभार संभाला।

निदेशक

श्री सुनील कुमार ने 01.04.2016 से 31.03.2017 तक निदेशक, एपीडा का कार्यभार संभाला।

प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 87 थी जबकि कुल स्वीकृत कर्मचारी संख्या 124 (अध्यक्ष एवं सचिव सहित) है। एपीडा प्राधिकरण के कर्मचारियों का श्रेणी–वार विवरण निम्नानुसार था:

सरकार में श्रेणी 'क' के समकक्ष पद (जिनमें अध्यक्ष, निदेशक और सचिव शामिल हैं)	25
सरकार में श्रेणी 'ख' पदों के समकक्ष पद	31
सरकार में श्रेणी 'ग' के पदों के समकक्ष पद	31

प्राधिकरण द्वारा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं महिला कर्मचारियों के कल्याण एवं विकास की पर्याप्त देखरेख की जाती है। एपीडा के पास किसी भी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. या महिलाओं कर्मचारियों से मिली कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

एपीडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसकी मुखिया उप महाप्रबंधक स्तर की महिला अधिकारी हैं।

सरकारी मानकों के अनुसार, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण सभी ग्रेड में कुल संख्या का 3 प्रतिशत है। वर्तमान में 87 कर्मचारियों में से दो कर्मचारी दिव्यांग हैं। एपीडा दिव्यांगजनों के कल्याण का पूरा ध्यान रखता है। एपीडा ने कार्यालय में इधर–उधर जाने के लिए एक दिव्यांग कर्मचारी को व्हील चेयर प्रदान की है। इसके अलावा, उन्हें नियमों के अनुसार सभी सुविधाएं दी जाती हैं। अब तक ऐसे कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वर्तमान में, एपीडा में ग्रुप ए, बी एवं सी श्रेणियों में कुल 25 महिला कर्मचारी हैं। महिला कर्मचारियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है और महिला उत्पीड़न या उनके कल्याण के संबंध में किसी भी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं मिली है।

2. एपीडा का निर्यात परिदृश्य

2.1. कृषि निर्यात में एपीडा का हिस्सा (अप्रैल 2016–मार्च 2017)

कुल निर्यात व्यापार	$ 276.28 बिलियन डॉलर
कृषि उत्पादों का निर्यात (सूत सहित)	$ 33.37 बिलियन डॉलर
कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पाद का हिस्सा	12.08%
एपीडा द्वारा मोनिटर किए गए उत्पादों का निर्यात (संपूर्ण कृषि उत्पादों का 48 प्रतिशत)	$ 16.19 बिलियन डॉलर

Source : DGCIS

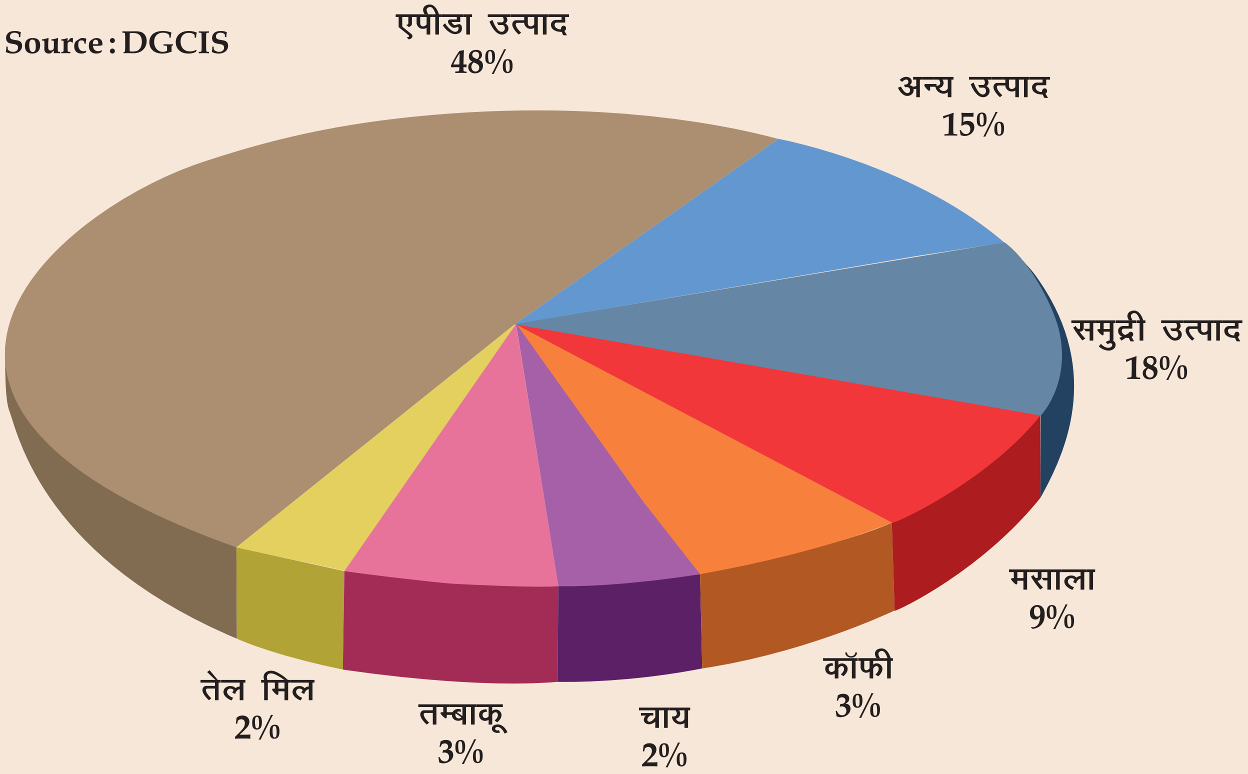

2.2 शीर्ष 15 बाजारों में एपीडा के निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत) (2016–17)

1.	वियतनाम	13.9	9 .	इंडोनेशिया	3.2
2.	संयुक्त अरब अमीरात	8.7	10.	बांग्लादेश	2.4
3.	सऊदी अरब	7.1	11.	इजिप्ट अरब गणराज्य	2.3
4.	संयुक्त अमरीका	5.7	12.	यूनाइटेड किंगडम	2.1
5.	ईरान	4.0	13.	कुवैत	1.8
6.	नेपाल	4.0	14.	नीदरलैंड्स	1.8
7.	इराक	3.9	15.	बेनिन	1.7
8.	मलेशिया	3.8			

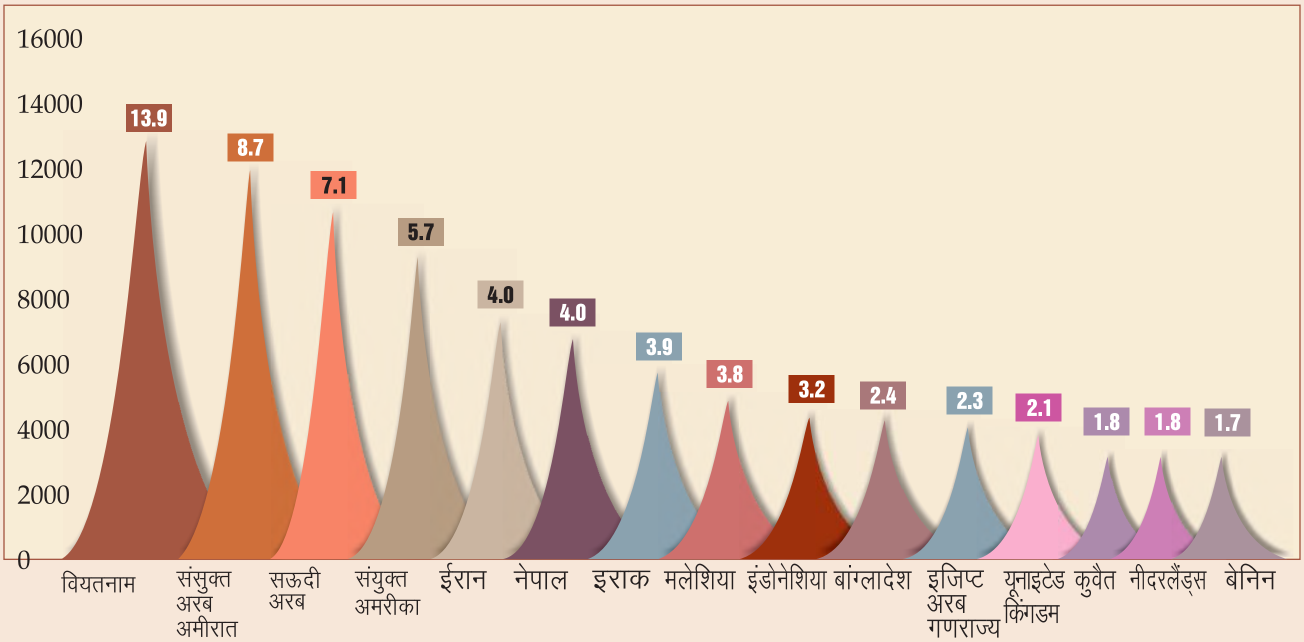

2.3 एपीडा के प्रमुख उत्पाद और प्रमुख बाजार (% हिस्सा 2016–17)

पुष्पकृषि				
संयुक्त अमरीका (18.11%)	यूनाइटेड किंगडम (12.53%)	जर्मनी (11.39%)	नीदरलैंड (10.58%)	संयुक्त अरब अमीरात (6.28%)

फल एवं सब्जियों के बीज				
बांग्लादेश (20.30%)	पाकिस्तान (14.71%)	संयुक्त अमरीका (13.90%)	नीदरलैंड (9.59%)	जापान (5.19%)

ताजा प्याज				
बांग्लादेश (31.42%)	मलेशिया (15.94%)	संयुक्त अरब अमीरात (12.91%)	श्रीलंका (8.51%)	नेपाल (5.09%)

अन्य ताजी सब्जियां				
नेपाल (20.58%)	संयुक्त अरब अमीरात (15.97%)	पाकिस्तान (13.11%)	यूनाइटेड किंगडम (6.01%)	कतर (5.12%)

अखरोट				
फ्रांस (16.17%)	यूनाइटेड किंगडम (14.69%)	संयुक्त अरब अमीरात (12.04%)	नीदरलैंड (10.29%)	नेपाल (9.44%)

ताजे आम				
संयुक्त अरब अमीरात (55.65%)	यूनाइटेड किंगडम (11.14%)	सऊदी अरब (5.49%)	कतर (4.86%)	कुवैत (4.31%)

ताजे अंगूर				
नीदरलैंड (30.02%)	रूस (13.25%)	यूनाइटेड किंगडम (7.61%)	संयुक्त अरब अमीरात (6.86%)	जर्मनी (5.96%)
अन्य ताजे फल				
संयुक्त अरब अमीरात (32.05%)	बांग्लादेश (13.88%)	नेपाल (10.34%)	सऊदी अरब (6.81%)	कुवैत (3.66%)
ककड़ी एवं खीरा (तैयार एवं संरक्षित)				
संयुक्त अमरीका (20.83%)	बेल्जियम (9.85%)	रूस (9.57%)	फ्रांस (8.35%)	स्पेन (8.10%)
सूखी एवं संरक्षित सब्जियां				
जर्मनी (16.84%)	संयुक्त अमरीका (9.15%)	यूनाइटेड किंगडम (7.97%)	रूस (4.48%)	ब्राजील (4.25%)
आम का गूदा				
सऊदी अरब (21.24%)	नीदरलैंड (11.15%)	यमन गणराज्य (9.75%)	यूनाइटेड किंगडम (8.09%)	संयुक्त अरब अमीरात (5.88%)
अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां				
संयुक्त अमरीका (16.89%)	नीदरलैंड (9.69%)	यूनाइटेड किंगडम (8.90%)	सऊदी अरब (8.63%)	संयुक्त अरब अमीरात (7.50%)
दालें				
पाकिस्तान (13.83%)	श्रीलंका (11.29%)	संयुक्त अरब अमीरात (10.66%)	अल्जीरिया (9.22%)	सऊदी अरब (8.42%)
भैंस का मांस				
वियतनाम सोशियल गणराज्य (51.99%)	मलेशिया (9.07%)	इजिप्ट अरब गणराज्य (7.71 %)	इंडोनेशिया (5.87%)	सऊदी अरब (3.82%)
भेड़/बकरी का मांस				
संयुक्त अरब अमीरात (57.40%)	सऊदी अरब (22.34%)	कतर (9.57%)	कुवैत (7.50%)	ओमान (1.51%)
अन्य मांस				
भूटान (57.42%)	नेपाल (42.59%)			

प्रसंस्कृत मांस

संयुक्त अरब अमीरात (72.44%)	पाकिस्तान (15.12%)	कोरिया गणराज्य (5.77%)	वियतनाम सोशियल गणराज्य (5.35%)	इटली (0.73%)

पशु की केसिन्ग

अल्बेनिया (37.12%)	दक्षिण अफ्रीका (23.62%)	तुर्की (11.38%)	पुर्तगाल (8.37%)	लेबनान (6.08%)

कुक्कुट उत्पाद

ओमान (30.00%)	मालद्वीव (9.26%)	इंडोनेशिया (8.60%)	सऊदी अरब (7.88%)	रूस (6.86%)

दुग्ध उत्पाद

संयक्त अरब अमीरात (22.32%)	बांग्लादेश (14.09%)	भूटान (12.00%)	पाकिस्तान (9.36%)	नेपाल (7.98%)

प्राकृतिक शहद

संयुक्त अमरीका (81.54%)	संयुक्त अरब अमीरात (3.70%)	सऊदी अरब (2.24%)	बांग्लादेश (1.78%)	कनाडा (1.34%)

केसीन

संयुक्त अमरीका (55.30%)	पोलैंड (9.00%)	थाइलैंड (8.90%)	ब्राजील (7.94%)	फिलीपिन्स (7.55 %)

एल्बुमिन (अंडा एवं दूध)

जापान (51.41%)	वियतनाम सोशियल गणराज्य (20.43%)	थाइलैंड (6.36%)	इंडोनेशिया (5.21%)	फिलीपिन्स (4.03%)

मूँगफली

इंडोनेशिया (26.52%)	वियतनाम सोशियल गणराज्य (21.19%)	मलेशिया (9.23%)	फिलीपिन्स (7.49%)	थाइलैंड (6.43%)

ग्वार गम

संयुक्त अमरीका (51.02%)	नार्वे (7.14%)	चीन पीपुल्स गणराज्य (6.69%)	रूस (5.98%)	जर्मनी (5.20%)

गुड़ एवं कन्फेक्शनरी

नेपाल (8.56%)	म्यांमार (6.83%)	बेनिन (5.86%)	संयुक्त अरब अमीरात (5.73%)	नाइजीरिया (5.58%)

कोको उत्पाद

संयुक्त अमरीका (21.99%)	संयुक्त अरब अमीरात (6.65%)	सऊदी अरब (6.35%)	नेपाल (6.10%)	हांगकांग (6.00%)

तैयार अनाज

संयुक्त अमरीका (19.18%)	नेपाल (8.35%)	संयुक्त अरब अमीरात (7.02%)	बांग्लादेश (6.52%)	यूनाइटेड किंगडम (6.34%)

मिल के उत्पाद

संयुक्त अमरीका (23.52%)	संयुक्त अरब अमीरात (18.31 %)	आस्ट्रेलिया (6.11%)	कनाडा (4.34%)	यूनाइटेड किंगडम (4.30%)

मादक पेय पदार्थ

संयुक्त अरब अमीरात (27.41%)	घाना (10.39%)	नाइजीरिया (7.21%)	सिंगापुर (6.41%)	नीदरलैंड (5.83%)

विविध व्यंजन

संयुक्त अमरीका (19.52%)	नेपाल (9.58%)	संयुक्त अरब अमीरात (8.93%)	बांग्लादेश (7.15%)	आस्ट्रेलिया (4.92%)

बासमती चावल

सऊदी अरब (20.87%)	ईरान (17.57%)	संयुक्त अरब अमीरात (14.57%)	इराक (10.56 %)	कुवैत (4.64%)

गैर–बासमती चावल

बेनिन (9.87%)	नेपाल (8.18%)	सेनेगल (7.41%)	गिनी (7.13%)	संयुक्त अरब अमीरात (6.24 %)

गेहूँ

नेपाल (69.57%)	बांग्लादेश (13.49%)	संयुक्त अरब अमीरात (10.13%)	यूनाइटेड किंगडम (1.61%)	सोमालिया (1.26%)

मक्का

नेपाल (56.17%)	बांग्लादेश (13.45%)	श्रीलंका (6.65%)	फिलीपींस (3.53 %)	यमन गणराज्य (2.68%)

अन्य अनाज

पाकिस्तान (12.37%)	सऊदी अरब (10.36%)	संयुक्त अरब अमीरात (9.18%)	कीनिया (8.25%)	नेपाल (4.78%)

स्रोतः डी.जी.सी.आई.एस वार्षिक विवरण

2.4 एपीडा निर्यात प्रदर्शन

अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए एपीडा उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है :

मूल्य करोड़ रूपये में और अमरीकी डॉलर में मात्रा मीट्रिक टन में

उत्पाद समूह	2015-16			2016-17			2015–16से 2016–17 % मे वृद्धि	
	मात्रा	₹करोड़	मिलियन अमरीकी डॉलर	मात्रा	₹करोड़	मिलियन अमरीकी डॉलर	₹करोड़	मिलियन अमरीकी डॉलर
बासमती चावल	4045822	22719	3478	3985196	21513	3217	-5.3	-7.5
भैंस का मांस	1314534	26688	4070	1323576	26161	3912	-2.0	-3.9
गैर बासमती चावल	6464570	15483	2369	6770804	16930	2531	9.3	6.9
ग्वार गम	325251	3234	497	419948	3107	464	-3.9	-6.5
अनाज की तैयारी	316533	3358	513	339923	3566	533	6.2	3.9
अन्य प्रसंस्कृत फल सब्जियां	321499	2906	444	355316	3149	471	8.3	6.2
कई तरह के निर्मित उत्पाद	355786	2599	397	282577	2566	384	-1.3	-3.4
मूंगफली	542726	4076	620	725704	5444	812	33.6	30.8
ताजा प्याज	1382960	3097	473	2415739	3106	464	0.3	-1.9
अन्य ताजा सब्जियां	740466	2219	339	1016438	2832	423	27.6	24.8
मादक पेय	238672	2006	307	230827	1991	298	-0.7	-2.9
अन्य ताजे फल	377315	1772	270	409081	1836	274	3.6	1.7
दालें	251768	1604	244	124430	1136	170	-29.2	-30.2
गुड़–कन्फेक्शनरी	292841	1290	197	297681	1468	219	13.8	11.4
खीरा एवं ककड़ी (तैयार और संरक्षित)	202954	999	152	179661	936	140	-6.3	-7.9
कोको उत्पाद	32653	1268	193	25650	1087	163	-14.3	-15.8
सूखे और संरक्षित सब्जियां	66444	916	140	86791	1082	162	18.1	15.9
भेड़/बकरी मांस	21636	834	128	22009	870	130	4.3	1.7
मक्का	697947	1162	178	566352	1030	154	-11.3	-13.7
दुग्ध उत्पाद	33443	756	115	39167	906	135	19.9	17.4
ताजा अंगूर	161029	1577	236	231117	2065	311	31.0	31.7
मिल के उत्पाद	431465	1103	169	255804	814	122	-26.2	-28.0
फल एवं सब्जियां बीज	13104	529	81	11289	523	78	-1.2	-3.0
प्राकृतिक शहद	38177	706	109	45055	558	84	-21.0	-23.2
ताजा आम	36779	321	50	52761	444	67	38.4	33.7
आम का गूदा	128866	796	121	130886	846	126	6.3	4.2
पुष्पकृषि	22692	483	74	22020	547	82	13.1	10.8
पोल्ट्री उत्पाद	659304	769	117	448725	530	79	-31.0	-32.4
गेहूँ	666669	1062	164	265606	448	67	-57.8	-59.1
अन्य अनाज	269974	540	83	168436	396	59	-26.8	-28.8
पशु केसिंग	206	17	3	173	14	2	-18.7	-20.7
एल्बुमिन (अंडे और दूध)	1934	150	23	1703	88	13	-41.4	-42.6
केसीन	5898	216	33	6130	238	35	10.1	7.3
अखरोट	3292	118	18	2191	55	8	-53.1	-53.9
अन्य मांस	0	0	0	12	0	0		
संसाधित मांस	279	6	1	141	5	1	-25.6	-28.1
कुल	**20465488**	**107378**	**16405**	**21258918**	**108284**	**16191**	**0.84**	**-1.30**

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस

3. प्राधिकरण की बैठकें और सांविधिक कार्य

वर्ष 2016–17 के दौरान एपीडा प्राधिकरण की दो बैठकें 11 जुलाई 2016 और 7 अक्टूबर 2016 को आयोजित की गई।

4. एपीडा के निर्यातकों का पंजीकरण

4.1 पंजीकरण–व–सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी):

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (यथा संशोधित), की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन एक या एकाधिक अनुसूचित उत्पादों का निर्यात करने वाला हर व्यक्ति जिस तारीख को ऐसा निर्यात करने का वचन देता है, उस तारीख से एक माह समाप्त होने से पूर्व या इस धारा के लागू होने की तारीख से तीन माह के समाप्ति, जो भी बाद में हो, तक प्राधिकरण को अनुसूचित उत्पाद या अनुसूचित उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। पंजीकरण–व–सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) एपीडा के अनुसूचित उत्पादकों के निर्यातकों को जारी किया जाता है।

कार्यालय	नया	नवीनीकृत	संशोधन
मुख्यालय	804	269	435
मुम्बई	1754	296	784
बेंगलुरू	1212	206	602
हैदराबाद	208	42	96
कोलकाता	271	66	109
गोवाहाटी	19	6	10
कुल	**4268**	**885**	**2036**

4.2 पंजीकरण–सह–आबंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)

4.2.1 बासमती चावल के निर्यात के लिए आरसीएसी

वर्ष 2016–17 के दौरान बासमती चावल के निर्यात के लिए जारी की गई आरसीएसी		
कुल आरसीएसी	मात्रा (मिलियन एमटी)	एफओबी मूल्य (यूएसडी मिलियन में)
27380	3.99	3,222.35

4.2.2.चीनी के आयात के लिए आरसीएसी

वर्ष 2016–17 के दौरान चीनी के आयात के लिए जारी की गई आरसीएसी		
2016–17 (कच्ची चीनी)		
आरसीएसी की कुल सं.	मात्रा (मिलियन एमटी में)	एफओबी मूल्य (यूएसडी मिलियन में)
234	3.01	1384.88

4.2.3 मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई)

वर्ष 2016–17 के दौरान मूंगफली के निर्यात के लिए जारी की गई सीओइ	
कुल सीओई	मात्रा (लाख एमटी में)
33077	6.62

5. एपीडा में राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष 2016–17 के दौरान भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया। प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किये गये कुछ कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई ।
2. यथाअपेक्षित राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों को कार्यान्वित किया गया ।
3. एपीडा में हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध हैं। संगठन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हिन्दी में प्रभावी कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार दिये गये।
4. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के कर्मचारियों को राजभाषा पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला में भेजा गया।

5. वर्ष 2016–17 के दौरान 14–28 सितम्बर को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। प्रतिदिन के पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले और हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

6. प्रतिष्ठित लेखकों, पत्रकारों, अन्य गणमान्य अतिथियों आदि को आमंत्रित कर अन्य छह कार्यालय परिसरों के साथ संयुक्त रूप से एनसीयूआई बिल्डिंग में 14.09.2016 को हिन्दी दिवस मनाया गया।

7. सभी फाइल कवर द्विभाषिक रूप में छपवाये जाते हैं और इन पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले वाक्यांश भी मुद्रित किये जाते हैं ताकि कर्मचारियों को नियमित रूप से हिन्दी में टिप्पणी लिखने में मदद मिल सके।

8. एपीडा में राजभाषा के प्रयोग की निरंतर निगरानी के लिए प्रत्येक डिविजन के राजभाषा कार्यप्रदर्शन की लेखापरीक्षा के लिए एपीडा अधिकारी नामांकित किये गये हैं।

9. हिन्दी के प्रयोग के निर्धारित लक्ष्य एवं निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग में अतिरिक्त नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

10. प्रत्येक कर्मचारी को कार्यालय सहायिका दिया गया है और राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक अनुभाग को अंग्रेजी–हिन्दी शब्दकोश दिया गया है।

11. एपीडा वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध है और समय–समय पर इसका अद्यतन किया जा रहा है।

6. एपीडा कृषि निर्यात संवर्धन योजना

6.1 बाजार विकास

6.2 अवसंरचना विकास

6.3 परिवहन सहायता

6.4 गुणवत्ता विकास

वर्ष 2016–17 के दौरान बजट आबंटन और एपीडा द्वारा किया गया व्ययः

योजना भाग		2016–17 (₹करोड़ में)		
		सीसीईए द्वारा अनुमोदित	बजट आवंटन	खर्च की गई वास्तविक राशि
1	अवसंरचना का विकास	66.65	25.00	25.00
2	बाजार विकास	30.02	23.90	23.90
3	गुणवत्ता विकास	13.32	3.60	3.60
4	परिवहन सहायता	156.01	42.44	42.44
5	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष घटक	0.00	7.00	6.31
6	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक	0.00	3.00	0.00
	कुल योग	**266.00**	**104.94**	**101.25**

30 सितम्बर, 2016 से डीओसी के अनुमोदन के साथ परिवहन सहायता (टीएएस) के भाग को हटा दिया गया

7. एपीडा की ई–शासन पहलें

सरकार भारत में कारोबार करने की आसानी के लिए कई नये उपाय और प्रयास कर रही है तथा मौजूदा नियमों को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने एवं ई–शासन प्रणाली को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की शुरूआत पर बल दिया गया है। एपीडा में वर्ष के दौरान वर्तमान ई–शासन प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए अनेक पहल की गई और हितधारकों के लाभ के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं प्रारंभ की गई।

7.1 कारोबार करने की आसानी के लिए उठाए गए मुख्य कदम

7.1.1 ट्रेसनेट सिस्टम की पुनः डिजाइनिंग

पिछले तीन वर्षों के दौरान सॉफ्टवेयर में किये गये बदलावों और समय–समय पर परामर्शी प्रक्रिया के दौरान स्टेकहोल्डरों से प्राप्त इनपुट को शामिल करने हेतु ट्रेसनेट सिस्टम को पुनः डिजाइन किया गया है। यह एक बड़ा कदम है जैसा कि स्टेकहोल्डरों को ट्रेसनेट के इस्तेमाल में कुछ समस्याएं होती थी और इसके बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई थी।

ट्रेसनेट की पुनः डिजाइनिंग के साथ इसे जैविक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर समझौता किये बिना अधिक उपयोगकर्ता हितैषी बनाया गया । नया सिस्टम 1 मई, 2016 से लागू हुआ।

7.1.2 निर्यातकों के लिए आरसीएमसी एवं आरसीएसी हेतु मोबाइल एप का विकास एवं कार्यान्वयन।

7.1.3 परिवहन सहायक एप्लीकेशन के लिए ई–बीआरसी विवरण की प्राप्ति हेतु डीजीएफटी के साथ एकीकरण।

7.1.4 जैविक उत्पादों के लिए ऑनलाइन आरसीएसी की प्रोसेसिंग हेतु एप्लीकेशन का डिजाइन एवं विकास।

7.2 कारोबार करने की आसानी के लिए उठाए गए अन्य कदम

7.2.1 13 नये उत्पादों के लिए खेत पंजीकरण स्तर तक होर्टिनेट सिस्टम का विकास एवं कार्यान्वयन।

7.2.2 मध्य प्रदेश राज्य में सब्जियों एवं आम के लिए होर्टिनेट सिस्टम के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण प्रारंभ किया गया।

7.2.3 क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में रेप्लिकेशन बैकअप सर्वर स्थापित किया गया है।

7.2.4 विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों में सामने आये मुद्दों के निपटान की स्थिति की निगरानी के लिए आउटरीच एप्लीकेशन विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है।

7.2.5 मीट प्लांट के पंजीकरण के लिए आवेदन हार्ड कॉपी में प्राप्त किये जा रहे थे। अब ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं और प्लांट पंजीकरण प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन जारी किया जाता है।

7.2.6 कारोबार को सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से एपीडा ने एकीकृत मांस प्रसंस्करण प्लांट की वैधता दो वर्षों से बढ़ाकर तीन वर्ष की है और मांस प्रसंस्करण प्लांट एवं एकल बूचड़खाने के मामले में इसे एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष किया गया है।

7.2.7 प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपाय के अंतर्गत एपीडा द्वारा जारी किया जाने वाला पैकहाउस मान्यता प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाया जाता है और प्रमाणपत्र डिजिटल प्रारूप में जारी किया जाता है।

7.2.8 छुट्टी की अनुमति, यात्रा प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए पेपरलैस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन।

7.2.9 मूंगफली उत्पाद का 50 प्रतिशत नमूना एवं जांच प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास एवं कार्यान्वयन।

7.2.10निर्यातकों के अनुरोध पर, एपीडा ने निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई) जारी करने के लिए शुल्क का एकमुश्त भुगतान

करने हेतु ई–वालेट सिस्टम कार्यान्वित किया है। इससे प्रत्येक आवेदन के लिए अलग–अलग भुगतान करने की समस्या खत्म हुई है और आवेदन जमा करने एवं एपीडा से सीओई प्राप्त करने में आसानी हुई है।

7.2.11 एपीडा ने मई 2016 से डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों हेतु निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई) ऑनलाइन जारी करने के लिए पेपरलैस प्रक्रिया को अपनाने की पहल की है। वर्ष के दौरान कुल 33077 सीओई जारी किये गये। लगभग 80 प्रतिशत सीओई एक दिन में जारी किये गये।

7.2.12 एपीडा ने मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों (पीपीपी) यूनिट पंजीकरण सिस्टम की पेपरलैस फाइलिंग, प्रोसेसिंग एवं प्रमाणन का भी कार्यान्वयन किया ।

7.2.13 आयात एवं निर्यात के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डाटाबेस तक पहुंच के लिए एमओसीएंडआई, संसदीय प्रश्न एवं अन्य सरकारी संगठनों आदि की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विशलेषणात्मक रिपोर्ट का अनुपालन एवं विकास ।

7.2.14 एपीडा का दैनिक समाचारपत्र संकलन ई–मेल के माध्यम से 34000 से अधिक लोगों तक पहुंचता है।

8. उत्पाद श्रेणियों में मुख्य विकास / उपलब्धियाँ

8.1 बागवानी क्षेत्र

8.1.1 यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान एवं आस्ट्रेलिया में आम का निर्यात

8.1.1.1 यूएस में आम का निर्यात पिछले वर्ष में 300 एमटी की तुलना में दोगुना बढ़कर 767.38 एमटी पहुंच गया है। निर्यात निम्नलिखित तीन विकिरण सुविधाओं से किया गया है:

- क्रुषक, लसलगांव–567 एमटी
- आईएफसी वाशी – 190 एमटी
- इनोवा बेंगलुरू–10.380 एमटी

8.1.1.2 दक्षिण कोरिया को आम के निर्यात के लिए बाजार पहुंच 7 जून, 2016 को हासिल हुई। दक्षिण कोरिया के संबंधित विभाग को दक्षिण कोरिया से इंसपेक्टर को प्रतिनियुक्ति करने हेतु एक अनुरोध पत्र भेजा गया। कॉमन वीएचटी सुविधा, सहारनपुर में 11 जुलाई, 2016 को इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया। 250 किग्रा. आम का निर्यात किया गया। अगले वर्ष यह मात्रा बढ़ने का अनुमान है।

8.1.1.3 निर्यातकों द्वारा सूचित आवश्यकता के अनुसार, दो जापानी क्वारन्टीन इंस्पेक्टरों को नासिक, त्रिपुरा और सहारनपुर में वीएचटी सुविधा पर नियुक्त किया गया ।इंस्पेक्टरों को जापानी क्वारन्टीन अथॉरिटी द्वारा वीएचटी सुविधा तिरूपति में 10 अप्रैल से 30 जून, 2016 तक, वीएचटी सुविधा नासिक में 15 से 25 जून, 2016 तक और वीएचटी सुविधा, सहारनपुर में 28 जून से 10 अगस्त, 2016 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। वर्तमान सत्र में जापान में 53 एमटी आम (24 एमटी तिरूपति और 29 एमटी नासिक) का निर्यात किया गया।

8.1.1.4 आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल का 05.05.2016 को मैसर्स इनोवा एग्री बायो पार्क की विकिरण सुविधा का दौरा

सुश्री स्लेवा जेमैन, परामर्शदाता (कृषि), कृषि एवं जल संसाधन विभाग, आस्ट्रेलिया दूतावास, नई दिल्ली और डॉ. एश्वर्या राधाकृष्णन, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, कृषि एवं जल संसाधन विभाग, आस्ट्रेलिया दूतावास, नई दिल्ली के साथ आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल ने 05.05.2016 को मैसर्स इनोवा एग्री बायो पार्क लि. की विकिरण सुविधा का दौरा किया। क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू ने प्रतिनिधिमंडल के दौरे का समन्वयन किया। बाद में यूनिट ने मैसर्स इनोवा एग्री बायो पार्क से आस्ट्रेलिया को लगभग 32.56 एमटी आम के निर्यात के लिए स्वीकृति प्रदान की।

8.1.2 ईयू को अंगूर का निर्यात

ग्रेपनेट ट्रेसबिलिटी सिस्टम के माध्यम से ईयू को अंगूर का निर्यात पिछले वर्ष के 83277 एमटी की तुलना में बढ़कर वर्ष 2016–17 में 95785 एमटी पहुंच गया। यह पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत वृद्धि है।

8.1.3 ट्रायल शिपमेंट :

8.1.3.1 वाशी एवं बंगलौर में विकिरण सुविधा के माध्यम से यूएस को अनार के दो ट्रायल शिपमेंट भेजें गये। आईएफसी वाशी सुविधा से 1.5 एमटी अनार भेजा गया। इनोवा बेंगलुरू सुविधा से 200 किग्रा. अनार भेजा गया।

8.1.3.2 आईएफसी सुविधा, वाशी, नवी मुम्बई से मैसर्स कौशल कंटीनेंटल (इंडिया) प्रा. लि. मुम्बई द्वारा समुद्री मार्ग से यूएसए को आम का एक ट्रायल शिपमेंट भेजा गया।

8.1.4 कार्यशाला/प्रशिक्षण–सह–जागरूकता कार्यक्रम

8.1.4.1 एपीडा द्वारा पीएजीआरईएक्ससीओ, चंडीगढ़ के सहयोग से अक्टूबर 2016 में होशियारपुर एवं अबोहर, पंजाब में किन्नू के निर्यात पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीएजीआरईएक्ससीओ ने रूस को 144 एमटी किन्नू (6 कंटेनर – प्रत्येक कंटनेर में 24 एमटी) का सफलतापूर्वक निर्यात किया।

8.1.4.2 रूस को आलू का निर्यात करने संबंधी मुद्दे के निपटान के लिए एपीडा द्वारा 28 जून, 2016 को संबंधित स्टेकहोल्डरों की एक बैठक आयोजित की । संबंधित स्टेकहोल्डरों द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया।

8.1.4.3 एपीडा द्वारा रूस को रोग–मुक्त एवं कीट–मुक्त आलू का निर्यात करने के लिए ग्वालियर में 21 जनवरी, 2017 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

8.1.4.4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में सीआईआई–एफएसीई के माध्यम से किसानों सहित संबंधित स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण–सह–जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

8.1.5 प्रतिनिधिमंडल का दौरा:

8.1.5.1 आम विकिरण सुविधा से संबंधित अनुमोदन के लिए आस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने 28.04.2016 से 06.06. 2016 तक भारत का दौरा किया। आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल ने लसलगांव, वाशी एवं बेंगलुरू में विकिरण सुविधा का ऑडिट किया। प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गये गैर–अनुपालनीय विषयों पर इन सुविधाओं द्वारा अनुपालन किया गया है।

8.1.5.2. एमपीआई, न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड को आम के निर्यात के लिए 30 मई से 3 जून, 2016 तक तिरूपति में वीएचटी सुविधा का ऑडिट किया और प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गये मुद्दों को सुविधा द्वारा दुरूस्त किया गया।

8.1.6 आगामी बाजार पहुंच पहलें

क्र.सं.	उत्पाद जो भारत से निर्यात के लिए किये गये बाजार पहुंच अनुरोध के लिए है	देश
1.	अंगूर	यूएसए, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका
2.	आम	यूएसए, पेरू, मलेशिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान गणराज्य
3.	अनार	यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया
4.	लीची	यूएसए

5.	केला	कनाडा, कजाकिस्तान, मलेशिया
6.	अखरोट का दाना	चिली, तुर्की
7.	मोरिंगा	कोलम्बो, मलेशिया
8.	टमाटर	पेरागुवे, श्रीलंका
9.	तरबूज	पेरागुवे
10.	नींबू	पेरू
11.	आलू	ईयू, रूस, अजरबेजान, फिलीपीन्स, थाइलैंड
12.	स्ट्रॉबेरी	थाइलैंड
13.	ब्लूबेरी	थाइलैंड
14.	किवीफ्रूट	थाइलैंड
15.	नींबू	थाईलैंड
16.	भिण्डी	थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका
17.	चीकू	चीन, आस्ट्रेलिया
18.	पपीता	चीन
19.	अनानास	चीन
20.	लहसुन	ताईवान
21.	बैंगन	दक्षिण कोरिया
22.	ताजा बारडी डेट्स	दक्षिण कोरिया
23.	मटर	आस्ट्रेलिया
24.	शरीफा	आस्ट्रेलिया

8.2 अनाज क्षेत्र

8.2.1 बाजार पहुंच पहल :

चीन को चावल के निर्यात के लिए बाजार पहुंच : एक्यूएसआईक्यू टीम ने 19 यूनिटों के फील्ड सत्यापन के लिए सितम्बर 2016 में भारत का दौरा किया और बाद में चीन को बासमती चावल के निर्यात के लिए नवम्बर, 2016 में 14 चावल प्रतिष्ठानों को अनुमोदित किया। चीन को गैर–बासमती चावल के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल में संशोधन हेतु एक्यूएसआईक्यू और एनपीपीओ भारत के बीच तकनीकी बातचीत के बाद स्वीकृति मिलने का अनुमान है।

8.2.2 ईरान में 29 जनवरी, 2017 को बासमती चावल निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम

2 अध्यक्ष, एपीडा के नेतृत्व में 20 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने ईरान का दौरा किया। दौरे का उद्देश्य रिटेल सेगमेंट के लिए आम एवं भैंस के मांस के निर्यात से संबंधित मामलों पर बातचीत करना था। होटल एसपिनास प्लेस, तेहरान में आयोजित बिक्री प्रोत्साहन कार्यक्रम में लगभग 250 लोगों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में 30 मीडिया कॉर्मिक, आयातक, निरीक्षण एजेंसिया और एफडीओ आदि के सरकारी अधिकारी शामिल थे। बासमती की खेती, प्रसंस्करण, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र से जुड़े मामले और भारतीय चावल जीएमओ मुक्त होने के आश्वासन जैसे विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती लगभग 3 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम स्थल पर भारतीय बासमती के उपयोग से ईरान के रसोईयों ने ईरान के व्यंजन तैयार किये और इसे लंच के एक भाग के रूप में परोसा गया।

8.3 प्रसंस्कृत एवं अन्य प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र

8.3.1 प्रतिनिधिमंडल का दौरा

नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी एंड फूड स्टेंडर्ड (एसीएफएस), थाइलैंड के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर 2016 में भारत का दौरा किया जहां उन्होंने एपीडा के क्षेत्राधिकार के अधीन निर्यात किये जाने वाले मूंगफली के दाने का उत्पादन, संग्रहण, भंडारण के नियंत्रण उपाय एवं सुपुर्दगी के संबंध में थाई एग्रीकल्चरल स्टेंडर्ड (टीएएस) 4702 मूंगफली दाना : एफ्लाटॉक्सिन के अधिकतम स्तर की जांच की।

प्रतिनिधिमंडल का दौरा सफल रहा और एसीएफएस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि एपीडा द्वारा कार्यान्वित एफ्लाटॉक्सिन नियंत्रण उपाय थाई एग्रीकल्चरल स्टेंडर्ड (टीएएस) 4702 मूंगफली दानाः एफ्लटॉक्सिन के अधिकतम स्तर के समकक्ष है और इसका निर्यात 6 जनवरी, 2017 से लागू हो गया । इसी प्रकार एपीडा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार थाईलैंड को निर्यात किया जाने वाला मूंगफली दाना स्वीकृत किया गया।

8.3.2 प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

- मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों के निर्यात पर त्वरित जानकारी/शिकायत की जांच के उद्देश्य से एपीडा ने ईयू–सीआईटीडी के सहयोग से माइकोटॉक्सिन की पहचान हेतु सैम्पलिंग पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया । प्रशिक्षण सत्र मुम्बई में 8 नवम्बर, 2016 को और राजकोट में 14 नवम्बर, 2016 को आयोजित किया गया। प्रत्येक स्थान पर आयोजित प्रशिक्षण में निर्यात संगठनों के लगभग 25 अधिकारियों, मूंगफली यूनिट और लैब सैम्पलर्स ने भाग लिया।

- एपीडा ने मूंगफली एवं मूंगफली उत्पादों के निर्यात पर ओपेक के साथ 13 जनवरी, 2017 को एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। एपीडा ने पीपीपी के निर्यात प्रोत्साहन के लिए की जा रही विभिन्न नई पहलों पर जानकारी दी और कारोबार को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के संबंध में निर्यातकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिये ।

- यूएसएफडीए खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (एफएसएमए) को कानून बनाने के लिए 4 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किये गये। इसका उद्देश्य यू.एस. में खाद्य पदार्थों के निर्यात को सुरक्षित बनाना है। भारतीय निर्यातकों को यूएएस को खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

  तद्नुसार, एपीडा ने अपनी वेबसाइट पर नये नियमों को प्रकाशित किया है आर यह जानकारी ई–मेल के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से संबंधित निर्यातकों को भेजी गई है। इस संबंध में एपीडा ने फरवरी एवं मार्च 2017 के दौरान बेंगलुरू एवं मुम्बई में दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये। एफएसएमए के नये नियमों के बारे में निर्यातकों का मार्गदर्शन और निर्यातकों द्वारा इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ श्री डीन रूंगटा, उप निदेशक, यू.एस. खाद्य एवं औषधि प्रशासन को आमंत्रित किया गया।

- एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के बारे में निर्यातकों को जानकारी देने और इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं परेशानियों के निपटान के लिए एक पारस्परिक बैठक का आयोजन किया गया।

8.3.3 अन्य पहलें

एपीडा, पोर्ट लुईस में 12–13 सितम्बर, 2016 तक मॉरीशस सरकार के साथ आयोजित बैठक में वाणिज्यिक मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का भाग था। पोर्ट लुईस में भारत और मॉरीशस के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता (सीईसीपीएस) के पुनरूद्धार पर चर्चा की गई । तीन वर्ष पहले इस समझौते को स्थगित कर दिया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री मनोज द्विवेदी, संयुक्त सचिव, डीओसी और मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री नारायणदुत बौधू, निदेशक, ट्रेड पॉलिसी यूनिट, विदेशी मामले क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने किया। एपीडा का प्रतिनिधित्व सुश्री समीधा गुप्ता ने किया। दोनों पक्ष संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट की समीक्षा पर सहमत हुए जो 2004 में प्रारंभ किया गया था जिसमें कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित नये क्षेत्रों में सहयोग करना शामिल था।

8.4 पशुधन क्षेत्र

8.4.1 बाजार पहुंच पहलें

- फरवरी, 2017 में भारत और यूरेशियन आर्थिक आयोग के बीच दुग्ध उत्पादों के लिए पशु स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये। तथापि, दुग्ध उत्पादों के लिए अब तक बाजार पहुंच स्वीकृत नहीं की गई है। रूसी फेडरेशन एफएसवीपीएस भारतीय दुग्ध उत्पादों के लिए बाजार पहुंच की अनुमति हेतु सहमत हुआ है।
- रूसी फेडरशन को भैंस के मांस के निर्यात हेतु मांस प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की सूची के विस्तार हेतु निरंतर प्रयास किये गये।
- एफएसवीपीएस ने अंडा उत्पादों के निर्यात के लिए अपनी वेबसाइट पर केवल एक प्रतिष्ठान का नाम अद्यतन किया है जबकि अन्य तीन प्रतिष्ठान अद्यतन नहीं किये गये हैं जिसके कारण वह रूस को निर्यात करने में सक्षम नहीं है। एफएसवीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर अतिरिक्त अंडा प्रसंस्करण प्रतिष्ठान का सूचीकरण कराने के लिए निरंतर प्रयास किये गये।
- रूस को खाद्य उत्पादों के निर्यात प्रमाणन के लिए रूसी फेडरेशन द्वारा 18 भारतीय खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की अनुमति से संबंधित मामला रूसी प्राधिकारियों के पास लंबित था।
- इंडोनेशिया ने गाय के मांस के आयात की अनुमति दी है। इंडोनेशिया ने दुग्ध उत्पादों के आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया था और साथ ही दोनों उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का कारण समान है अर्थात् देश में एफएमडी का प्रसार शामिल है।

8.4.2 प्रतिनिधिमंडल का दौरा

- सऊदी अरब खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एसएफडीए) के चार सदस्यीय तकनीकी प्रतिनिधिमंडल ने 22–30 नवम्बर, 2016 के बीच भारत का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने चुनिंदा भैंस एवं भेड़ मांस प्रसंस्करण प्लांट, एनीमल मार्के का निरीक्षण किया और राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के साथ बातचीत की।
- फिलीपींस के नेशनल मीट इंस्पेक्शन सर्विस (एनएमआईएस) और ब्यूरो ऑफ एनीमल इंडस्ट्रीज (बीएआई) के प्रतिनिधियों के साथ फिलीपींस के छह सदस्यीय तकनीकी प्रतिनिधिमंडल ने 27.03.2016 से 04.04. 2016 के बीच भारत का दौरा किया । यह दौरा दस मांस प्रसंस्करण प्लांट का निरीक्षण एवं अनुमोदन के लिए था। प्रतिनिधिमंडल ने पांच प्लांटों के लिए अनुमति दी है।

8.5 जैविक क्षेत्र

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2001 से विदेश व्यापार विकास विनियम (एफटीडीआर) के अंतर्गत निर्यात के लिए जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनपीओपी का उद्देश्य जैविक उत्पादों के विकास एवं प्रमाणन के लिए नीति, जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानक, प्रमाणन निकायों को मान्यता और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों का प्रमाणन और जैविक खेती एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना एवं उसका विकास करना है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2001 में एनपीओपी के कार्यान्वयन के बाद भारत में जैविक खेती में तेजी से वृद्धि हुई है। आज भारत के जैविक उत्पादों ने वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है और यह नई ऊंचाईयों को छूने के लिए तैयार है।

8.5.1 जैविक प्रमाणन के अंतर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन

वर्ष 2016–17 के दौरान, जैविक प्रमाणन के अंतर्गत लगभग 4.45 लाख हैक्टेयर क्षेत्र था जिसमें 3.01 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र भी शमिल है। वन्य संग्रहण सहित कुल जैविक उत्पादन 1.20 लाख एमटी था।

8.5.2 निर्यात किये गये मुख्य उत्पाद

वर्ष 2016–17 के दौरान जैविक कृषि निर्यात की कुल मात्रा 309767 एमटी थी जिसका मूल्य रु. 2478.17 करोड़ (370 मिलियन यूएसडी) था। जैविक उत्पादों के निर्यात के प्रमुख देश यूरोपियन यूनियन और उसके बाद यूएसए एवं कनाडा थे। जैविक उत्पादों के निर्यात के अन्य स्थानों में स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मध्य पूर्व देश और आसियान देश थे।

निर्यात किये गये मुख्य उत्पादों में सोयाबीन, चीनी, बासमती चावल, चाय, दाल, मसाले, अलसी बीज एवं प्रसंस्कृत खाद्य (आम का गूदा एवं सोयाबीन आहार) शामिल थे।

8.5.3 जैविक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

वर्ष 2016–17 के दौरान निर्यात की मात्रा में 17.5 प्रतिशत और निर्यात मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

वर्ष	निर्यात (मात्रा) (एमटी)	निर्यात (मूल्य) रु. करोड़ में	निर्यात (मूल्य) मिलियन यूएसडी
2016–17	309767	2478.17	370
2015–16	263687	1975.87	298
2014–15	285663	2099.16	327

8.5.4 एनपीओपी के अंतर्गत नई उत्पाद श्रेणियों के लिए विकसित किये गये मानक

जैविक पशु मांस प्रसंस्करण एवं हैंडलिंग के लिए मानक विकसित किये गये हैं। एनपीओपी में प्लांट उद्गम/वन उत्पाद के गैर–खेती सामग्री के संग्रहण के लिए वर्तमान मानकों के अंतर्गत टसर, शहद, लाख, औषधीय पौधें एवं जड़ी बूटी, जड़ एवं कंद को जोड़ा गया है।

निर्यात के लिए जैविक उत्पादों के विविधीकरण एवं विस्तार हेतु एनपीओपी में वर्तमान मानक पशुधन श्रेणी के अंतर्गत कॉटन उत्पादन एवं ऊन के लिए सिल्क वर्म रियरिंग को जोड़ा गया है।

8.5.5 एनपीओपी के अंतर्गत नये प्रमाणन निकाय को मान्यता

वर्ष 2016–17 के दौरान तीन प्रमाणन निकाय यथा सिक्किम राज्य प्रमाणन एजेंसी, गंगटोक, ग्रीनसर्ट बॉयोसॉल्यूशन्स, पुणे और ग्लोबल सर्टिफिकेशन सोसाइटी, पालमपुर को एनपीओपी के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। इन नये प्रमाणनों के साथ एनपीओपी के अंतर्गत मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों की कुल संख्या 28 हो गई है।

8.5.6 पशुधन प्रमाणन के लिए प्रमाणन क्षेत्र का विस्तार

एनपीओपी के अंतर्गत मूल्यांकन समिति (ईसी) द्वारा सम्पादित भौतिक सत्यापन और ईसी द्वारा दर्ज गैर–अनुपालन पर आवेदक सीबी द्वारा किये गये सुधारात्मक उपायों के आधार पर प्रमाणन का कार्यक्षेत्र तीन प्रमाणन निकायों हेतु पशुधन का विस्तार किया गया है।

8.5.7 निम्नानुसार क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गये :

(क) एनपीओपी, लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं और जैविक मधुमक्खी पालन पर मूल्यांकन समिति सदस्य।

(ख) नई उत्पाद श्रेणी जैविक मधुमक्खी पालन पर प्रमाणन निकाय।

(ग) जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु जैविक प्रमाणन को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रशिक्षण।

(घ) सभी पूर्वोत्तर राज्यों में एनपीओपी पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रमाणन निकायों की स्थापना।

(ङ) वर्ष 2016–17 में सिक्किम, मध्य प्रदेश (2), महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखण्ड, असम एवं राजस्थान राज्यों में 8 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गये।

8.5.8 स्टेकहोल्डर परामर्श

(i) स्टेकहोल्डरों के साथ 9 जून, 2017 और 13 जुलाई 2017 को जैविक दालों के निर्यात के लिए आरसीएसी पर दो बैठकें/परामर्श सत्र आयोजित किये गये।

(ii) एनपीओपी के अंतर्गत पशुधन पर ट्रेसनेट मॉड्यूल के विकास के लिए 20.07.2016 को स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श/बैठक

(iii) नये पुनः डिजाइन किये गये सिस्टम के प्रदर्शन हेतु नई दिल्ली में अप्रैल 2016 में स्टेकहोल्डर परामर्श (सीबी एवं ऑपरेटरर्स) का आयोजन किया गया। 21 सीबी और उनके ऑपरेटरों की ओर से 150 प्रतिभागियों ने परामर्श प्रक्रिया बैठक में भाग लिया।

(iv) फरवरी 2017 में प्रमाणन निकाय की बैठक आयोजित की गई।

8.5.9 जैविक समानता के लिए कनाडा, कोरिया, ताईवान और जापान के साथ समझौता

एपीडा ने नियमित पत्राचार के माध्यम से कनाडा, कोरिया, ताईवान और जापान के साथ समानता पाने के प्रयास जारी रखे। समानता प्रोसेस का सुगम बनाने के लिए मानकों का तुलनात्मक विवरण भेजा गया। यद्यपि, इन आयातित देशों ने पारस्परिक मान्यता के लिए विनिमय के मुद्दे उठाये हैं।

8.5.10 यूएसडीए एएमएस ऑनसाइट ऑडिट

यूएसडीए एएमएस ऑनसाइट ऑडिट 29 मार्च–8 अप्रैल 2016 तक सम्पादित किया गया जिसमें यूएसडीए टीम ने एपीडा के ऑफिस का ऑडिट किया जिसमें एनओपी मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों के फाइलों की समीक्षा, उनका गैर–अनुपालन एवं मूल्यांकन रिपोर्ट, मूल्यांकन और समीक्षा, जांच रिपोर्ट और गैर–अनुपालन के लिए लगाई गई शास्तियां, एपीडा की परिचालन नियमावली एवं प्रक्रियाएं और आईएसओ 17011 की प्रमाणन प्रक्रिया के अनुसार अन्य आवश्यकताएं शामिल थी। टीम ने भारत द्वारा एनओपी के लिए मान्यताप्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा एनओपी के अंतर्गत प्रमाणन की समीक्षा हेतु दो प्रमाणन निकायों एवं उनके ऑपरेटरों के यहां दौरा भी किया।

8 अप्रैल, 2016 को आयोजित समापन बैठक में यूएसडीए टीम ने सिस्टम के सुधार की सराहना की।

यूएसडीए की अंतिम रिपोर्ट जुलाई 2016 में प्राप्त हुई थी जिसमें ऑडिट टीम की टिप्पणियां संलग्न थी। एपीडा ने रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों का उत्तर दिया है।

8.5.11 जैविक समानता की समीक्षा के लिए ईयू एफवीओ मिशन

ईयू–एफवीओ मिशन जिसमें 3 सदस्य (ईयू एफवीओ ऑफिस से दो और डीजी सेनको से एक) तथा यूएसडीए–एनओपी से एक पर्यवेक्षक ने जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच समानता समझौता के अंतर्गत एनपीओपी प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन हेतु 13–23 अप्रैल, 2015 तक एपीडा का दौरा किया।

अंतिम रिपोर्ट फरवरी 2015 में प्राप्त हुई । समग्र निष्कर्ष रिपोर्ट में यह वर्णित है कि 2012 में अंतिम ऑडिट से समक्ष प्राधिकरण (एपीडा) ने ईयू को निर्यात के लिए निर्धारित जैविक उत्पादों हेतु नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के उपाय किये हैं। सीबी का ऑडिट और सक्षम प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच ज्यादातर मामलों में पूरी तरह से तर्कसंगत एवं उद्देश्यपूर्ण है।

8.5.12 सिक्किम से जैविक उत्पादों के लिए निर्यात/बाजार स्ट्राटेजी के विकास पर अध्ययन

सिक्किम से जैविक उत्पादों के निर्यात/विपणन स्ट्राटेजी के विकास के लिए मई 2016 में भारतीय जैविक उद्योग (एआईओआइ) के सहयोग से एक अध्ययन किया गया। अध्ययन पूरा हो गया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8.5.13 चयनित उत्पादों एवं उप श्रेणियों का विस्तृत बाजार अध्ययन/मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव

एआईओआई/यस बैंक स्टडी की अनुसंशा पर आधारित एपीडा ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद स्तर पर स्ट्राटेजी बनाने हेतु श्रेणीवार विस्तृत अध्ययन करने और प्रत्येक श्रेणी की सही मात्रा एवं मूल्य अनुमानों हेतु उपयुक्त इंटरवेंशन पर सुझाव देने के लिए एमआईए की सहायता लेने हेतु एमओसी के पास एक प्रस्ताव जमा किया है।

पांच श्रेणियां अर्थात् चावल, चाय, मसाले, अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य की पहचान की गई है जिसकी विभिन्न बड़े बाजारों में निर्यात की अच्छी क्षमता है।

8.5.14 जैविक उत्पादों के लिए आरसीएसी जारीकरण को युक्तिसंगत बनाना

उच्चतम एफओबी पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जैविक उत्पादों के लिए आरसीएसी जारी करने हेतु प्रक्रियाएं विकसित की गई ।

8.5.15 विश्व जैविक कांग्रेस में एपीडा की भागीदारी

नवम्बर, 2017 में नई दिल्ली में आईएफओएएम द्वारा आयोजित विश्व जैविक कांग्रेस में एपीडा की भागीदारी के लिए एमएआई योजना के अंतर्गत प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई जिसमें विश्वभर से जैविक स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया।

8.6 अवसंरचना विकास

8.6.1 वर्ष 2016–17 के दौरान अवसंरचना के लिए बजट आबंटन रु. 25.00 करोड़ था। यद्यपि, बड़ी प्रतिबद्ध देनदारी के कारण निधि की कमी को देखते हुए अवसंरचना के नये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया । आबंटन का उपयोग प्रतिबद्ध देनदारी के निपटान के लिए किया गया।

8.6.2 प्राइस वेयरहाउस कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एपीडा वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाओं के मूल्यांकन पर अध्ययन पूरा किया गया। रिपोर्ट में वर्णित मुद्दों पर एपीडा ने काम करना शुरू कर दिया है।

8.6.3 वर्ष के दौरान, सामान्य अवसंरचना की कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ व्यापक कार्यवाही की गई और गैर–उत्तरदायी/देरी से चल रही परियोजनाओं को निरस्त किया गया तथा उनके रिफंड मांगे एवं प्राप्त किये गये।

8.6.4 कार्यान्वयन एजेंसी के साथ व्यापक रूप से आगे की कार्यवाही के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान निम्नलिखित अवसंरचना सुविधाओं को कार्यान्वित किया गया :

1. मध्य प्रदेश में बागवानी उत्पादों के लिए दो पैक हाउस
2. पंजाब में एक शहद प्रसंस्करण परियोजना
3. गुजरात में आम के गूदे और अन्य फल प्रसंस्करण सुविधा के लिए एक प्रसंस्करण यूनिट
4. महाराष्ट्र में बागवानी उत्पादों के लिए तीन पैक हाउस प्रोजेक्ट और पशु उत्पादों के लिए एक जांच प्रयोगशाला।

8.7 गुणवत्ता विकास

8.7.1 प्रयोगशालाओं की मान्यता और एचएसीसीपी कार्यान्वयन और प्रमाणन एजेंसियां

क) अवधि के दौरान निर्यात के लिए एपीडा अनुसूचित उत्पादों की सैम्पलिंग एवं विश्लेषण के लिए 3 नई मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं सहित 39 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई। प्राइवेट क्षेत्र में 3 मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं एवं एनआरसी ग्रेप्स पुणे में 1 नेशनल रेफरल लेबोरेटरी को उच्च परिशुद्धि विश्लेषण उपकरणों के साथ अपग्रेड किया गया।

ख) अवधि के दौरान एचएसीसीपी के प्रमाणन एवं कार्यान्वयन के लिए 6 प्रमाणन एजेंसियों और 5 कार्यान्वयन एजेंसियों को मान्यता दी गई।

8.7.2 निर्यात के लिए प्रक्रियाओं का विकास एवं कार्यान्वयन

क) निर्यात सत्र 2016–17 के लिए खाद्य सुरक्षा अनुपालनों को सुनिश्चित करने हेतु कृषि रसायनों के अवशेषों के नियंत्रण द्वारा यूरोपियन यूनियन को ताजे अंगूरों के निर्यात के लिए प्रक्रियाएं।

ख) आयातित देशों के खाद्य सुरक्षा अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए भारत से मूंगफली ए मूंगफली उत्पादों के निर्यात की प्रक्रियाएं।

ग) ओकारा से ईयू को निर्यात के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया

घ) भारत से सब्जियों के निर्यात के लिए प्रक्रियाएं

ङ) ईयू को पान के पत्तों के निर्यात के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया

8.7.3 मूंगफली प्रसंस्करण यूनिटों की मान्यता के लिए प्रक्रियाओं का विकास

क) मूंगफली के निर्यात के लिए मूंगफली प्रसंस्करण यूनिटों को मान्यता प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया

ख) मूंगफली के निर्यात के लिए मूंगफली छिलका एवं या ग्रेडिंग के लिए मान्यता प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया

ग) मूंगफली के निर्यात के लिए गोदाम/भंडारण के लिए मान्यता प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया

8.7.4 मानकीकरण एवं सामंजस्यः

क) रोम, इटली में 27.06.2016 से 01.07.2016 तक कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के 39वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में एपीडा ने भाग लिया एवं प्रतिनिधित्व किया।

ख) नई दिल्ली में 26–30 सितम्बर, 2016 को आयोजित एशियाई देशों के लिए कोडेक्स कोआर्डिनशन कमिटी के 20वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में एपीडा ने भाग लिया एवं प्रतिनिधित्व किया।

ग) लांस एंजलिस, यूएसए में 05.11.2016 से 09.11.2016 तक खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स कमिटी के 48वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में एपीडा ने भाग लिया एवं प्रतिनिधित्व किया।

9. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी

9.1 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

9.1.1 विश्व खाद्य मेला मास्को 12–15 सितम्बर, 2016

एपीडा ने मास्को, रूस से 12 से 15 सितम्बर, 2016 तक आयोजित विश्व खाद्य मेले में भाग लिया और 108 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। श्री यू के वत्स, डीजीएम और श्री प्रशांत वागमारे, एजीएम, एपीडा ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की । इसमें 18 निर्यातकों ने भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया । प्रदर्शित उत्पादों में खाने के लिए तैयार उत्पाद, चावल, दाल, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं, फल एवं सब्जियां,

जैविक चाय, ओलियोरेजिन एवं खाद्य तेल, ठंडे सूखे उत्पाद, फ्रोजन फल एवं सब्जियां, डिहाइड्रेटेड वस्तुएं, दुग्ध उत्पाद आदि शामिल थे।

9.1.2 16–20 अक्टूबर, 2016 तक सियाल 2016

एपीडा ने पेरिस, जर्मनी में 16 से 20 अक्टूबर, 2016 तक आयोजित सियाल 2016 में भाग लिया और 504 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। श्री आर.के. मंडल, डीजीएम और श्रीमती विनिता सुधांशु, एजीएम, एपीडा की प्रदर्शनी में भागीदारी की व्यवस्था की। इसमें 59 निर्यातकों ने भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शित उत्पादों में बासमती चावल, मंगफली एवं मूंगफली बटर, कन्फेक्शनरी वस्तुएं, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं एवं डिहाइड्रेटेड उत्पाद शामिल थे। प्रदर्शनी के दौरान शाकाहारी एवं मांसाहारी बिरयानी एवं भारतीय मदिरा की वेट सैम्पलिंग को भी दिखाया गया।

9.1.3 फ्रूट लॉजिस्टिका 8–10 फरवरी, 2017, बर्लिन, जर्मनी

एपीडा ने बर्लिन, जर्मनी में 8 से 10 फरवरी, 2017 तक आयोजित फ्रूट लॉजिस्टिका में भाग लिया और 208 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। श्री आर. रविन्द्रन, डीजीएम एवं श्री एन सी लोहाकरे, एजीएम, एपीडा ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की। इसमें 10 निर्यातकों ने प्रतिभागिता की और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इंडिया इवेन्ट भी आयोजित किया गया।

9.1.4 बायोफेक नुरेमबर्ग, जर्मनी 15–18 फरवरी, 2017

एपीडा ने नुरेमबर्ग, जर्मनी में 15 से 18 फरवरी, 2017 तक आयोजित बायोफेक 2017 में भाग लिया और 370 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। श्री देवेन्द्र प्रसाद, डीजीएम एवं सुश्री रीबा, एजीएम, एपीडा ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की । इसमें 22 निर्यातकों ने भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।

9.1.5 गुलफूड 2017 – 26 फरवरी से 2 मार्च, 2017

एपीडा ने दुबई, यूएई में 26 फरवरी से 2 मार्च, 2017 तक आयोजित गुलफूड में भाग लिया और 708 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। डॉ. सुधांशु, डीजीएम और श्री विद्युत बरूआ, एजीएम, एपीडा ने प्रदशर्नी में भागीदारी की व्यवस्था की। इसमें 65 निर्यातकों ने भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों जैसे बासमती चावल, गैर–बासमती चावल, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं, फ्रोजन खाद्य वस्तुएं, खाने के तैयार उत्पाद, कन्फेक्शनरी, मांस एवं मांस उत्पाद आदि का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान शाकाहारी एवं मांसाहारी बिरयानी की वेट सैम्पलिंग की गई।

9.1.6 फूडैक्स जापान 2017, 8–11 मार्च, 2017

एपीडा ने टोक्यो, जापान में 8 से 11 मार्च, 2017 तक आयोजित फूडैक्स जापान 2017 में भाग लिया और 100 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। श्री टी सुधाकर, डीजीएम एवं श्री मानप्रकाश विजय, एजीएम, एपीडा में कार्यक्रम में भागीदारी की व्यवस्था की। इसमें 10 निर्यातकों ने भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों जैसे बासमती चावल, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं, खाने के तैयार उत्पाद एवं भारतीय मदिरा आदि का प्रदर्शन किया।

एच. ई. श्री सुजन आर. चिनॅाय, राजदूत, भारतीय दूतावास, टोक्यो द्वारा भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन किया गया। उनके साथ श्री संजोग कपूर, प्रथम सचिव (ट्रेड) और भारतीय दूतावास के अन्य उच्च स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। इस वर्ष के मुख्य उत्पाद मदिरा एवं बाजरा थे। भारतीय दूतावास के सहयोग से मदिरा के विभिन्न ब्रांडों को बढ़ावा दिया गया।

9.1.7 नेचुरल एक्सपो वेस्ट, 9–12 मार्च, 2017

एपीडा ने अनाहेम, यूएसए में नेचुरल एक्सपो वेस्ट 2017 में भाग लिया और 162 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। सुश्री सास्वती बोस, डीजीएम एवं सुश्री समिधा गुप्ता, एजीएम, एपीडा ने शो में भागीदारी की। 18 निर्यातकों ने भाग

लिया और शो के दौरान भारतीय पैवेलियन में जैविक उत्पादों की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित किया।

9.1.8 इंडो बांग्ला बिजनेस एक्सपो 2017 इवेन्ट 21 से 23 मार्च, 2017

एपीडा ने ढाका, बांग्लादेश में आयोजित इंडो बांग्ला बिजनैस एक्सपो 2017 में भाग लिया और 100 वर्ग मीटर जगह बुक कराई। डॉ. सी बी सिंह, एजीएम और श्री सौरभ अग्रवाल, प्रबंधक, लेखा, एपीडा ने शो में भागीदारी की व्यवस्था की। एक्सपो में कुल 10 कंपनियों ने भाग लिया और भारतीय पैवेलियन में अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया।

9.2 प्रोत्साहन कार्यक्रम

9.2.1 मैक्सिको सिटी में 9–11 नवम्बर, 2016 में भारतीय खाद्य उत्पादों का प्रोत्साहन कार्यक्रम

एपीडा ने मैक्सिकों में 9–11 नवम्बर, 2016 तक भारतीय खाद्य उत्पादों अर्थात् हिडाइड्रेटेड उत्पाद, एथनिक उत्पाद, पल्प एवं अनाज तैयार करना आदि का प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 12 निर्यातकों ने भाग लिया और उत्पादों की विभिन्न श्रेणी जैसे बासमती एवं गैर–बासमती चावल, निर्जलित प्याज एवं लहसुन, फूलों का गूदा, तैयार खाद्य उत्पाद, साबूत एवं पीसे हुए भारतीय मसाले को प्रोत्साहित किया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. तरूण बजाज, महाप्रबंधक और श्री सुरेन्दर पाल, एजीएम, एपीडा, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

9.2.2 कीनिया एवं तंजानिया में 10–14 दिसम्बर, 2016 तक भारतीय खाद्य उत्पादों का प्रोत्साहन कार्यक्रम

एपीडा ने कीनिया एवं तंजानिया में 10–14 दिसम्बर, 2016 तक भारतीय खाद्य उत्पादों का प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 33 निर्यातकों ने भाग लिया और विभिन्न उत्पाद परिदृश्य यथा बासमती एवं गैर–बासमती चावल, निर्जलित प्याज एवं लहसुन, भारतीय प्रजातीय एवं पारंपरिक स्नैक फूड, प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, फलों का गूदा, तैयार खाद्य उत्पाद, साबूत एवं पीसे हुए मसालों को प्रदर्शित किया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री एस एस नय्यर, महाप्रबंधक एवं श्री हरप्रीत सिंह, एपीडा नई दिल्ली द्वारा किया गया।

9.2.3 जोहंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1–3 फरवरी, 2017 तक भारतीय खाद्य उत्पादों का प्रोत्साहन कार्यक्रम

एपीडा ने जोहंसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1–3 फरवरी, 2017 तक भारतीय खाद्य उत्पादों का प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 10 निर्यातकों ने भाग लिया और विभिन्न उत्पाद परिदृश्य जैसे गैर–बासमती चावल, बासमती चावल, अन्य प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियां, तैयार खाद्य उत्पाद, भारतीय स्नैक्स वस्तुएं, सूखे एवं प्रसंस्कृत सब्जियां, एल्कोहॉलिक पेय आदि को प्रदर्शित किया । प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. सुधांशु, डीजीएम एवं श्री उमेश कुमार, एजीएम, एपीडा, नई दिल्ली द्वारा किया गया।

9.3 राष्ट्रीय कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देशभर में निम्नलिखित कार्यक्रमों में भागीदारी की/आयोजन किया और एपीडा के अधिकारियों ने सभी कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक भागीदारी की:

9.3.1 एनईआर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम

1. त्रिपुरा में 4 जून, 2016 को इन्वेस्ट–त्रिपुरा व्यवसाय सम्मेलन
2. उत्पादन एवं विकास बाजार सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए दूसरी सीआईआई अनानास चुनौतियां बैठक
3. दीमापुर, नागालैंड (अगस्त 12), इम्फाल, मणिपुर (नवम्बर 2), शिलांग, मेघालय (दिसम्बर 16) और

जोरहाट, असम (जनवरी 19) में सरकारी योजना एवं बाजार के साथ उभरते खाद्य उद्यमियों के सम्पर्क परिदृश्य पर सम्मेलन।

4. मूल्य संवर्धन/प्रमाणन/विपणन/निर्यात, गुवाहाटी एक पूर्वोत्तर जैविक केन्द्र के रूप में शुरूआत पर सेमिनार

5. पूर्वोत्तर, गुवाहाटी में उच्च वाणिज्यिक बागवानी फर्म के विकास पर सेमिनार।

6. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) दिसपुर, गुवाहाटी, असम में 20 अक्टूबर, 2016 को प्रातः 10.00 बजे कोल्ड चेन पर आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम।

7. निर्यात को सुगम बनाने के लिए 7 से 9 अप्रैल, 2016 तक मणिपुर इंडस्ट्रियल एक्सपो जहां आगुन्तकों के बीच एपीडा के सहायक कार्यकलाप एवं एपीडा योजना पर वित्तीय सहायता पर जानकारी दी गई।

8. गुवाहाटी, असम में 6–9 जनवरी, 2017 को कृषि, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, असम सरकार के सहयोग से आईसीसी द्वारा चौथा असम इंटरनेशनल एग्री–हार्टिकल्चरल शो 2017 का आयोजन

9. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा सिटी कन्वेंशन सेन्टर, इम्फाल, मणिपुर में 8 से 9 अप्रैल, 2016 तक कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करणः क्षमता एवं चुनौतियां पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन ।

10. आईसीसी द्वारा आईजोल, मिजोरम में 14 जून, 2016 को पूर्वोत्तर एक जैविक केन्द्र पर सेमिनार का आयोजन।

11. फिक्की द्वारा 21 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2016 तक अगरतला, त्रिपुरा में कनेक्ट नार्थ ईस्ट 2016 (नार्थ ईस्ट कनेक्टिविटी समिट) का आयोजन

12. गुवाहाटी, असम में 28 सितम्बर, 2016 को आईसीसी द्वारा आयोजित एवं एपीडा द्वारा प्रायोजित उच्च वाणिज्यिक बागवानी के विकास पर सेमिनार।

13. गुवाहाटी, असम में 20 अक्टूबर, 2016 को पीएचडी द्वारा कोल्ड चेन पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन।

14. शिलांग, मेघालय में 10 नवम्बर, 2016 को पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा कोल्ड चेन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

15. एसोचैम द्वारा मेघालय में 15 दिसम्बर, 2016 को ''सरकारी योजना एवं बाजार के साथ भावी खाद्य उद्यमियों को जोड़ना'' विषय पर सम्मेलन का आयोजन।

16. इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा गुवाहाटी असम में 21 फरवरी, 2017 को असम फूड प्रो का आयोजन।

17. शिलांग, मेघालय में 29 मार्च को ''पूर्वोत्तर – एक जैविक केन्द्र'' पर सेमिनार।

18. गुवाहाटी, असम में 25 जून, 2016 को कट्स इंटरनेशनल द्वारा पूर्वी दक्षिण एशिया में कृषि मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने पर कार्यक्रम।

19. एसोचैम द्वारा 5 अक्टूबर, 2016 को शिलोंग, मेघालय में कोल्ड चेन समिट का आयोजन।

20. जीआईजेड के सहयोग से इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा गुवाहाटी, असम में 20 सितम्बर, 2016 को ''प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए एकल कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय केन्द्रित जलवायु–स्मार्ट एग्री–बिजनैस मॉडल'' पर सम्मेलन।

21. गुवाहाटी, असम में 26 अक्टूबर, 2016 को प्रस्तावित असम कृषि उत्पादन विपणन (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 पर दूसरी स्टेकहोल्डर परामर्श कार्यशाला।

22. एआरआईएएस द्वारा गुवाहाटी, असम में 7 नवम्बर, 2016 को आपूर्ति श्रृंखला एवं एग्रो लॉजिस्टिक्स पर स्टेकहोल्डर बैठक का आयोजन।

23. पिग, रानी, गुवाहाटी, असम में आईसीएआर–राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र द्वारा पिग, रानी, गुवाहाटी, असम पर

आईसीएआर–एनआरसी में 20 नवम्बर, 2016 को पिग एक्सपो–2016 का आयोजन।

24. चौथे असम अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी शो 2017 के दौरान बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, असम सरकार द्वारा 9 जनवरी, 2017 को जैविक उत्पादों पर विक्रेता–क्रेता बैठक का आयोजन।

25. चौथे असम अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी शो 2017 के दौरान 7 जनवरी, 2017 को पूर्वोत्तर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में मेक इन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार।

26. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) द्वारा 22 फरवरी, 2017 को तुरा, मेघालय में फल एवं सब्जियों का संरक्षण/मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला का आयोजन।

27. पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनईआरएएमएसी) द्वारा 27 फरवरी, 2017 को तिहु, असम में फल एवं सब्जियों का संरक्षण/मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला का आयोजन।

28. जोरहाट, असम में 16 फरवरी, 2017 को सरकारी योजना एवं बाजार के साथ भावी खाद्य उद्यमियों को जोड़ने के विषय पर सम्मेलन।

9.3.2 पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम

1. फूड एंड बेव. टेक, 2016, 14 एवं 15 दिसम्बर, 2016, कन्वेंशन सेन्टर, हयात रिजेंसी, पुणे
2 नागपुर में 11–14 नवम्बर, 2016 तक 8वां एग्रोविजन
3. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन – इंडिया वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक शो 2016, 17–19 अक्टूबर, 2016, गोरेगांव, मुम्बई
4. 9वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीबिजनैस एफएडी–2016, अहमदाबाद, गुजरात
5. एशिया एविएशन एसोसिएट्स द्वारा अहमदाबाद में 28.04.2016 को लॉजिस्टिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मेक इन इंडिया पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
6. 12 जनवरी, 2017 को वाइब्रेंट गुजरात ''समग्र विकास–कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था''।
7. इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स, कोलकाता द्वारा 18.06.2016 को मुम्बई में एग्री फूड बिज 2016 का आयोजन
8. इंडियन चैम्बर कामर्स, कोलकाता द्वारा होटल इंटरकंटीनेंटल, मुम्बई में 30.06.2016 को नार्थ ईस्ट फूड बिज 2016 का आयोजन
9. फेडरेशन ऑफ फ्रेट फारवडर्स एसोसिएशन इन इंडिया (एफएफएफएआई) द्वारा वाशी, नवी मुम्बई में 21 सितम्बर, 2016 को आईएनएसटीसी सम्मेलन का आयोजन।

9.3.3 उत्तरी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम

1. पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में 13–14 दिसम्बर, 2016 तक चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी : इंडिया फार्म 2 फोर्क 2016
2. नई दिल्ली में 21 से 22 जुलाई, 2016 तक राष्ट्रीय स्तर वेन्डर विकास कार्यक्रम सह उद्योग प्रदर्शनी
3. जनेश्वर मिश्रा पार्क, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ में 1–3 दिसम्बर, 2016 तक चौथा इंटरनेशनल एग्री–हार्टि टेक उत्तर प्रदेश 2016
4. आहार 2017 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 10 मार्च, 2017 को ''जैविक ,खाद्य पदार्थ एवं उभरते बाजार अवसर'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला।
5. आहार–2017, नई दिल्ली, 7–11 मार्च, 2017, एपीडा ने 2053 वर्ग मीटर जगह बुक कराई और प्रसंस्कृत खाद्य, तैयार भोजन, फ्रोजन फूड, चावल, निर्जलित उत्पाद, जैविक उत्पाद आदि क्षेत्रों के लगभग 60 निर्यातकों ने इसमें भाग लिया।

6. सांग्री ला इरोज होटल, नई दिल्ली में 9 एवं 10 मार्च, 2017 को 11वां नार्थ ईस्ट बिजनैस समिट।
7. यू.पी. मंडी परिषद, लखनऊ, उ.प्र. द्वारा होटल फॉर्च्यून, नवी मुम्बई में 10 जून, 2016 को उ.प्र. आम किस्म के निर्यात के लिए विक्रेता–क्रेता बैठक

9.3.4 दक्षिणी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम

1. हैदराबाद, तेलंगाना में 19 से 22 अक्टूबर, 2016 तक एशियन साइंस पार्क एसोसिएशन (एएसपीए–2016) – वार्षिक सम्मेलन।
2. पोर्ट ट्रस्ट डायमंड जुबली स्टेडियम, विशाखापट्नम में 23 से 25 सितम्बर, 2016 को इंडिया इंटरनेशनल समुद्री आहार शो (आईआईएसएस) का 20वां संस्करण।
3. एपी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 13.07.2016 को विशाखापट्नम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर राज्य स्तर सेमिनार।
4. फेडरेशन हाउस, हैदराबाद में 24 अगस्त, 2016 को ब्रसेल्स–यूरोप में निवेश का द्वार पर सेमिनार।
5. **26.08.2016 को बीआईईसी, बेंगलुरू में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एग्री बिजनैस कांग्रेस:** 26.08.2016 को तुमकुर रोड, बेंगलुरू में बेंगलुरू इंटरनेशनल ट्रेड सेन्टर में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एग्री बिजनैस कांग्रेस में भाग लिया। श्री कृष्णा बायरे गौड़ा, माननीय कृषि मंत्री, कर्नाटक सरकार ने कार्यक्रम में भाग लिया।
6. **त्रिवेन्द्रम में 01.12.2016 को मूल्य संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला:** कृषि, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विकास विभाग, केरल सरकार द्वारा 1 से 5 दिसम्बर, 2016 को कनाकाकुन्नु प्लेस, तिरूवनंतपुरम में कृषि प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी'' में भाग लिया। कार्यक्रम का विषय **''कृषि में आमदनी के लिए मूल्य संवर्धन''** था।

10. एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकलाप

10.1 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई

10.1.1 आउटरीच कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई द्वारा निम्नलिखित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गये:	
खारगौन, मध्य प्रदेश	8.06.2016
मुम्बई	19.7.2016
गुजरात	24.8.2016
भोपाल, मध्य प्रदेश	25.11.2016
ग्वालियर, मध्य प्रदेश	21.12.2016

10.1.2 कार्यशालाएं / प्रशिक्षण कार्यक्रम / आउटरीच कार्यक्रम

- एपीएमसी सम्मेलन हॉल, वाशी नवी मुम्बई में 23 दिसम्बर, 2016 को ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात हेतु ताजे फलों एवं सब्जियों के स्टेकहोल्डरों के साथ सभी सॉफ्टवेयर होर्टिनेट मॉड्यूल जैसे अनारनेट, मेंगोनेट, वेजनेट आदि के बारे में निर्यातकों को जागरूक करने हेतु कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- राजकोट में 13 जनवरी, 2017 में ओपेक द्वारा आयोजित ग्राउंडनेट यूनिटों पर जागरूकता कार्यशाला में भागीदारी।

- मुम्बई में 27 फरवरी, 2017 को प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के स्टेकहोल्डरों और नये उद्यमियों के साथ ''खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम (एफएसएमए) पर जागरूकता–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। श्री डीन रूगनेटा, उप निदेशक, यूएस खाद्य एवं औषधि प्रशासन भारत कार्यालय द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया।
- 2 मार्च, 2017 को अरनी, जिला यावटमल में ''पपीता एवं चोब'' का निर्यात'', 3 मार्च, 2017 को अकोट, जिला अकोला में ''केले का आयात'', 4 मार्च, 2017 को भिवापुर में ''चिल एक्सपोर्ट का निर्यात' और भिवापुर जिला नागपुर में एमएसएएमबी सुविधा के उपयोग हेतु संभावनाओं की तलाश पर जागरूकता–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

10.1.3 एपीडा मुम्बई ने भारत से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 98 बैठकें आयोजित की और उसमें भाग लिया।

10.1.4 **मीट प्लांट पंजीकरण समिति का दौरा :** वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में एकीकृत बूचड़खाना–सह–मांस प्रसंस्करण यूनिटों की मीट प्लांट पंजीकरण समिति के 10 दौरों का आयोजन किया।

10.1.5 **ईआईए अंतरविभागीय पैनल निरीक्षण समिति का दौरा :** वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने पश्चिमी क्षेत्र में पैनल सदस्य के तौर पर ईआईए के संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया और 5 निरीक्षण किये।

10.1.6 **एमएफपीओआई के संयुक्त निरीक्षण में भागीदारी :** वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने पश्चिमी क्षेत्र में समिति सदस्य के तौर पर एमएफपीओई के संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया और 3 निरीक्षण किये।

10.1.7 **पैकहाउस मान्यता समिति का दौरा :** वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने प्रमाणपत्र की मान्यता के लिए पैकहाउस समिति के साथ 109 पैकहाउस निरीक्षण सम्पादित किये।

10.1.8 **एनपीपीओ के संयुक्त निरीक्षण :** क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने वियतनाम को निर्यात के लिए मूंगफली यूनिटों हेतु एनपीपीओ के साथ संयुक्त रूप से 21 निरीक्षणों में भाग लिया।

10.1.9 **जैविक उत्पादों के प्रमाणन के लिए वार्षिक निगरानी ऑडिट/नवीनीकरण ऑडिट का निरीक्षण:** क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने वर्ष के दौरान जैविक उत्पादों के प्रमाणन के लिए निगरानी ऑडिट/नवीकरण ऑडिट हेतु एनपीओपी समिति का दौरा आयोजित किया और 3 यूनिट/फील्ड दौरे किये।

10.1.10 **मूंगफली यूनिट के लिए समिति का दौरा :** क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने मूंगफली यूनिटों के निर्यात के लिए प्रमाणपत्र की मान्यता हेतु समिति के साथ मूंगफली यूनिटों के 20 निरीक्षण किया।

10.1.11 **भौतिक सत्यापन :** क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने एपीडा के सहयोग से निर्यातकों/कॉमन सुविधा द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के 50 भौतिक सत्यापन आयोजित किये।

10.1.12 **विदेशी प्रतिनिधिमंडल :** क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के निम्नलिखित दौरों का आयोजन एवं समन्वयन किया:

1. सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) प्रतिनिधिमंडल – मांस एवं मांस उत्पाद
2. एसीएफसी थाईलैंड प्रतिनिधिमंडल – मूंगफली एवं मूंगफली उत्पाद
3. दुबई प्रतिनिधिमंडल – मांस एवं मांस उत्पाद
4. अंगोला प्रतिनिधिमंडल – मांस एवं मांस उत्पाद
5. इंडोनेशिया प्रतिनिधिमंडल – मांस एवं मांस उत्पाद

6 यूएसडीए प्रतिनिधिमंडल – आम उत्पाद

7 पोलैंड प्रतिनिधिमंडल – एफएफवी उत्पाद

8 दक्षिण कोरिया प्रतिनिधिमंडल – एफएफवी उत्पाद

9 हांग कांग प्रतिनिधिमंडल – एफएफवी उत्पाद

10 आस्ट्रेलियन प्रतिनिधिमंडल – एफएफवी उत्पाद

10.2 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू

10.2.1 आउटरीच कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू द्वारा निम्नलिखित आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गये :	
कोयम्बटूर	27.04.2016
कोचीन	01.06.2016
नमक्कल	01.07.2016
बेंगलुरू	08.07.2016

10.2.2 समूह विकास कार्यक्रम

सीआईआई के समन्वयन के साथ एपीडा द्वारा निम्नलिखित समूह विकास कार्यक्रम आयोजित किये गये :

उत्पाद	कार्यक्रम का स्थान एवं तिथि
पपीता	देवनागिरी कर्नाटक (16.04.2016)
आम	कोलेंगोडे, पालाक्कड,केरल (30.05.2016)
नेन्द्रन केला	त्रिवेन्द्रम, केरल (10.06.2016)
केला	थेनी, तमिलनाडु (29.11.2016)
सब्जियां	कोयम्बटूर, तमिलनाडु (13.04.2017)

10.2.3 अन्य कार्यक्रम

- बेंगलुरू में 15.04.2016 को ऑनलाइन टीएएस जमा करने पर जागरूकता कार्यक्रम
- कर्नाटक राज्य आम विकास बोर्ड द्वारा 30.06.2016 को कर्नाटक से ताजे आम के निर्यात के लिए फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया
- वायनाड में 24.11.2016 को वीएफपीसीके द्वारा स्थापित ताजे फल एवं सब्जियों के इंटीग्रेटेड पैकहाउस का उद्घाटन
- **22.06.2016 को एफकेसीसीआई पुरस्कार के 11वें संस्करण का आयोजन** : एफकेसीसीआई ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार के 11वें संस्करण का आयोजन किया और एपीडा को वर्ष 2016 के लिए **बेहतर निर्यात सरलीकरण संगठन हेतु विशेष पुरस्कार एफकेसीसीआई निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार–2016 (सिल्वर)** से पुरस्कृत किया गया। एपीडा की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू ने श्री तालम द्वारकानाथ, अध्यक्ष, एफकेसीसीआई, इंटरनेशनल बिजनैस से यह पुरस्कार प्राप्त किया।

- **बेंगलुरू में 08.01.2017 को वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति संबंधी विभाग का दौरा** : 08.01.2017 को वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति संबंधी विभाग के सदस्यों ने बेंगलुरू का दौरा किया और सांग्री–ला–होटल में आयोजित बैठक में भाग लिया।

- **कोचीन में 09.01.2017 को वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति संबंधित विभाग का दौरा** : 09.01.2017 को वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति संबंधी विभाग के सदस्यों ने कोचीन का दौरा किया और बोलगट्टी प्लेस एवं आइसलैंड होटल में आयोजित बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष, एपीडा और डीजीएम (आरआर) ने एपीडा का प्रतिनिधित्व किया और बैठक में भाग लिया।

- **बेंगलुरू में 01.03.2017 को खाद्य सुरक्षा एवं आधुनिकीकरण पर यूएस–एफडीए जागरूकता कार्यक्रम** : एपीडा बेंगलुरू कार्यालय ने 01.03.2017 को होटल फॉर्च्यून जेपी कोसमोस में खाद्य सुरक्षा एवं आधुनिकीकरण पर यूएस–एफडीए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री डीन रूंगेटा, उप निदेशक, एफडीए ने एक प्रस्तुतिकरण दिया । बैठक में 25 निर्यातकों ने भाग लिया।

- **वाणिज्य सचिव, भारत सरकार द्वारा 16 एवं 17 मार्च, 2017 को कोचिन एवं त्रिवेन्द्रम का दौरा:** श्रीमती रीता तेवतिया, आईएएस, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार ने क्रमशः 16 एवं 17 मार्च को कोचिन एवं त्रिवेन्द्रम का दौरा किया। वाणिज्य सचिव ने कोचिन में एमपीईडीए के अधिकारियों, मसाला बोर्ड, निर्यातक स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक की । त्रिवेन्द्रम में वाणिज्य सचिव ने एपीडा, रबर बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोचिन एवं त्रिवेन्द्रम भ्रमण के दौरान वाणिज्य सचिव के साथ निदेशक, एपीडा, नई दिल्ली और डीजीएम (आरआर) भी थे और उन्हें केरल में एपीडा के कार्यकलापों के बारें में संक्षेप में बताया।

- **विलनियस, लिथुएनिया में 9 से 12 मई, 2017 को बीटीएसएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम** : 9 से 12 मई, 2017 को विलनियस, लिथुएनिया में जैविक खेत्री योजना – सत्र 5 पर बीटीएसएफ ट्रेनिंग कोर्स में डीजीएम (आरआर) और एजीएम (आरए) को भागीदारी के लिए नामांकित किया गया।

10.3 एनईआर क्षेत्र में पहल – एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

10.3.1 एनईआर में निर्यात के लिए आउटरीच कार्यक्रम

वर्ष 2016–17 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी द्वारा विभिन्न एनईआर राज्यों सिक्किम, असम, अगरतला, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश एवं मेघालय में सात आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- तुरा, पश्चिम गारो हिल्स जिला, मेघालय में अदरक एवं अनानास के लिए आउटरीच कार्यक्रम।

- दिफु, कारबी आंगलोंग जिला, असम में 24 मार्च, 2017 में अदरक के लिए आउटरीच कार्यक्रम।

- असम में 18 एवं 19 जनवरी, 2017 को पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ बाजार लिंकेज प्रदान करने पर कार्यक्रम।

10.3.2 मार्केट लिंकेज पहल / क्षमता निर्माण कार्यक्रम / प्रशिक्षण कार्यक्रम

- **मुख्य सचिव, अरूणाचल प्रदेश के साथ एपीडा के अधिकारियों की बैठक** : निर्यातकों के साथ एपीडा के अधिकारियों की एक टीम में इटानगर, अरूणाचल प्रदेश में 1 जून, 2016 को मुख्य सचिव, अरूणाचल प्रदेश के साथ एक पारस्परिक बैठक की जिसमें निर्यात के लिए बाजार लिंकेज की संभावना, कृषि–बागवानी कोमोडिटी के अवसंरचना विकास की जरूरत और अरूणाचल प्रदेश में एपीडा वर्चुअल कार्यालय खोलने पर चर्चा की गई।

- **माननीय कृषि मंत्री, असम के साथ एपीडा के अधिकारियों की बैठक** : असम में निर्यात के लिए लाल चावल की सोर्सिंग में निर्यातकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गुवाहाटी, असम में 3 जून, 2016 को निर्यातकों और असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एएसएएमबी) के अधिकारियों ने माननीय कृषि मंत्री, असम के साथ बैठक की ।

- **गुवाहाटी, असम में 21 अक्टूबर, 2016 को जीएमआर ग्रुप के साथ स्टेकहोल्डरों की बैठक :** पूर्वोत्तर राज्य से पेरीसेबल कोमोडिटी के निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से एपीडा ने जीएमआर ग्रुप और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक की जिसमें निर्यात के लिए इंटरनेशनल एयर कार्गो हब जैसे दिल्ली तक किसानों से आपूर्ति श्रृंखला के बैकवार्ड लिंकेज के एकीकरण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्यात, इंटरनेशनल एयर कार्गो हब जैसे दिल्ली तक पेरीसेबल कार्गो फीडिंग के साथ निर्यात मानकों के अनुसार पैकेजिंग हेतु एनईआर की स्थानीय एजेंसियों के साथ कार्य करने के लिए जीएमआर ग्रुप की संभावनाओं को तलाशने पर चर्चा की गई।

- **क्षमता निर्माण कार्यक्रम :** एपीडा और आईआईसीपीटी द्वारा 23 जून, 2016 को संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन पर एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें एनईआर से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देशय से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता, अपनाई जा रही पद्धतियों एवं सुधार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ''मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास'' पर प्रशिक्षण

एपीडा ने पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य सरकारी विभागों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये।

1. 9 एवं 10 मई, 2016 को गंगटोक, सिक्किम
2. 20 एवं 21 जून, 2016 को असम
3. 4 एवं 5 जुलाई, 2016 को मेघालय
4. 7 एवं 8 जुलाई, 2016 को नागालैंड
5. 25 एवं 26 जुलाई, 2016 को मणिपुर
6. 28 एवं 29 जुलाई, 2016 को अरूणाचल प्रदेश
7. 10 एवं 11 अगस्त, 2016 को त्रिपुरा
8. 4 एवं 5 अक्टूबर, 2016 को मिजोरम

10.4 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

पूर्वी क्षेत्र में एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए सार्क, सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का द्वार है। एपीडा, कोलकाता कार्यालय ने एपीडा के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों के साथ अच्छा समन्वयन किया है। हम एपीडा के विकास कार्यक्रमों, एफएएस, टीएएस एवं एमडीए, क्षेत्र में विभिन्न कृषि निर्यात जोन में गुणवत्ता एवं अवसंरचना विकास पर जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए व्यक्तिगत निर्यातकों के साथ मिलने के साथ ही विभिन्न व्यापार एवं संस्थागत कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

10.4.1 प्रशासन :

वर्ष के दौरान 350 आगुन्तकों ने क्षेत्रीय कार्यालय–कोलकाता का दौरा किया और उन्हें अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान की गई।

10.4.2 सेमिनार, बैठक एवं कार्यशाला :

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 56 बैठकें/सेमिनार, 4 कार्यशाला–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये/उनमें भाग लिया। जागरूकता और निर्यात संबंधी विषयों पर चर्चा की गई और एपीडा अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ही उद्योग संगठनों जैसे पीएफआई एवं बागवानी विभाग, आईसीसी, एपीआईसीओएल, सीआईआई, एफआईईओ, पीएचडी चैम्बर्स, बीसीकेवी

यूनिवर्सिटी और बीएनसीसीआई आदि द्वारा समक्ष निर्यातकों की समस्याओं का समाधान किया गया।

10.4.3 आउटरीच कार्यक्रम

वर्ष के दौरान चार पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं झारखण्ड में विभिन्न स्थानों पर 10 (दस) आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गये।

10.4.4 केन्द्रीय वाणिज्य सचिव का पूर्वी क्षेत्र का दौरा

माननीय केन्द्रीय वाणिज्य सचिव ने अगस्त–सितम्बर, 2016 माह के दौरान उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल का दौरा किया और राज्य के निर्यात कार्यकलापों की समीक्षा की तथा राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ बैठक की।

10.4.5 निरीक्षण एवं फील्ड दौरा

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा 24 निरीक्षण एवं फील्ड दौरे आयोजित किये। इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों, एपीडा वित्तपोषित कॉमन अवसंरचना सुविधाओं, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले कॉमन अवसंरचना सुविधाओं एवं कृषक बाजारों का निरीक्षण, एपीडा से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले वाली यूनिटों एवं मांस प्रसंस्करण प्लांट आदि का निरीक्षण शामिल है।

10.4.6 निर्यात के लिए नये उत्पादों की पहचान

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लीची, लहसुन और पश्चिम बंगाल में काले चावल को निर्यात के लिए नये उत्पादों के रूप में पहचान की गई।

10.4.7 क्रेता–विक्रेता बैठक

आईसीसी द्वारा कोलकाता में आलू एक्सपो 2017 के आयोजन के दौरान एपीडा–कोलकाता द्वारा क्रेता–विक्रेता बैठक का समन्वयन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आलू विक्रेता देशों जैसे दुबई ने बीएसएम में भाग लिया। कार्यक्रम सफल रहा।

10.4.8 लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान :

वर्ष के दौरान 185 (एक सौ पिचासी) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (एनईएफटी/आरटीजीएस) किये गये।

10.5 एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

एपीडा, हैदराबाद कार्यालय राज्य में निर्यात के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकारी विभागों, एनजीओ अन्य संगठनों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहता है और यह विभिन्न निर्यात अवसरों के वर्तमान एवं नये/इच्छुक उद्यमियों को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। यह विभिन्न सांविधिक कार्यकलापों जैसे मांस प्लांट, राइस मिल, पैक हाउस एवं मूंगफली यूनिट के अनुमोदन एवं परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए दौरों का आयोजन एवं भागीदारी के अलावा आरसीएमसी एवं आरसीएसी कार्यकलाप शामिल हैं।

अरूणाचल प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में एपीडा के कार्यकलापों की जानकारी देने के उद्देश्य से एपीडा ने विभिन्न केन्द्र एवं राज्य सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया और एपीडा के कार्यकलापों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं पर प्रस्तुतिकरण दिया। एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि भी आयोजित किये।

10.5.1 सम्मेलनों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/जागरूकता कार्यक्रमों/आउटरीच कार्यक्रमों में भागीदारी

1. कटकुर गांव, बीमादेवेरापल्ली मंडल, करीम नगर, जिला में आम पर आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। बागवानी विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा 06.04.2016 को आयोजित किया गया।

2. गुंटुर में 03.05.2016 को जीएपी, पीओपी एवं हरी मिर्च (सब्जियां) उत्पादन एवं निर्यात पर एपीडा–सीआईआई फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. अनंतपुर में 21.06.2016 को अनार पर सीआईआई–एपीडा क्लस्टर विकास एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम

4. महबुबाद में 21.12.2016 को आम पर सीआईआई–एपीडा–फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5. जिला परिषद बैठक कक्ष, महबूबनगर में 21.07.2016 को अनार पर सीआईआई फेस क्लस्टर विकास कार्यकलाप में अनार पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया । खेती विनिर्दिष्ट अच्छी कृषि पद्धतियां, पद्धति पैकेज एवं अच्छी स्वच्छ पद्धतियां पर एक दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण।

6. हैदराबाद में 11.08.2016 को सेफ जोन, शारजहां, यूएई द्वारा संयुक्त रूप सेएफआईएफओ इंटरनेशनल बिजनैस फोरम : वैश्विक कारोबार विस्तार पर बैठक का आयोजन।

7. 19 अगस्त, 2016 को आईसीआरआईएसएटी परिसर, हैदराबाद में उत्पाद विकास एवं ब्रांडिंग कर्नाटक रागी के माध्यम से बाजरे को लोकप्रिय बनाने पर कार्यशाला।

8. आरजीआईए, हैदराबाद में 30.08.2016 को पेरीसेबल ईकोसिस्टम के विकास के लिए कार्ययोजना पर कार्यशाला।

9. हैदराबाद में 30–31 अगस्त, 2016 को कृषि अध्ययन केन्द्र (सीएएस) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद द्वारा किसान उत्पादक संगठनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला : अब तक का सफर एवं आगे का सफर का आयोजन।

10. 23 से 25 सितम्बर, 2016 को पोर्ट ट्रस्ट डायमंड जुबली स्टेडियम, विशाखापट्नम में इंडियन इंटरनेशनल समुद्री आहार शो का 20वां संस्करण।

11. 17.12.2016 को महबूबाबाद में आम के निर्यात पर जागरूकता कार्यक्रम – बागवानी विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा 17.12.2016 को महबूबाबाद जिला जेडचेरला में आम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 70 आम उत्पादकों ने भाग लिया। डॉ. ए भगवान, वरि. वैज्ञानिक, फल अनुसंधान स्टेशन, संगारेड्डी ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। बागवानी विभाग महबूबनगर जिला के उप निदेशक ने उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया। श्री एम मुथिप्या, ओई, आरओ, हैदराबाद ने उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया।

12. बागवानी विभाग, तेलंगाना सरकार के सहयोग से एपीडा ने कोल्लापुर, नगरकुरूनूल जिले में 28.12.2016 को कोलापुर प्रजाति बंगनापल्ली आम को बढ़ावा देने के लिए आम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। जिला कलेक्टर नगरकुरूनूल ने उपरोक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपरोक्त आम के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 150 किसानों ने भाग लिया। डॉ. ए भगवान, वरि. वैज्ञानिक (बागवानी), फल अनुसंधान स्टेशन, संगारेड्डी और डॉ. सत्यनारायण रेड्डी गंटा (सेवानिवृत्त) अनुसंधान निदेशक, श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, हैदराबाद में मुख्य वक्ता के रूप में उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लिया। श्री पी. एस. नायडु, टीक्यू सर्टि. सर्विसेज प्रा. लि. हैदराबाद ने जीएपी कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से समझाया।

13. डॉ. कुलकर्णी, आस्ट्रेलिया के आम ब्रीडर के साथ 29.12.2016 को बागवानी प्रशिक्षण संस्थान में बैठक का आयोजन किया गया। मैसर्स विस्टाज, बेंगलुरू और मैसर्स साम एग्रीटेक प्रा. लि. हैदराबाद में पारस्परिक बैठक में भाग लिया।

14. चित्तूर क्षेत्र से ताजे आम को बढ़ावा देने के लिए 5 अगस्त, 2016 को चित्तूर में विक्रेता–क्रेता बैठक में भाग लिया।

15. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद और डॉ. ए किरण कुमार, वरि. वैज्ञानिक, फल अनुसंधान स्टेशन, संगारेड्डी ने क्षेत्र में अनानास के निर्यात की संभावनाओं को तलाशने के लिए 6 एवं 7 अगस्त, 2016 को श्रीकाकुलम क्षेत्र में अनानास उत्पादक बैठक एवं अनानास फील्ड विजिट में भाग लिया।

16. वाटरशेड स्पोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क (डब्ल्यूएएसएसएएन), मूंगफली अनुसंधान स्टेशन, कदिरि, आईसीआरआईएसटी के सहयोग से एपीडा ने 16.08.2016 को अनंतपुरम में मूंगफली पर स्टेकहोल्डर बैठक का आयोजन किया। अवसंरचना, टॉक्सिन, गुणवत्ता सुधार आदि से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए यह आयोजन किया गया। बैठक में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मूंगफली निर्यातकों एवं उत्पादकों द्वारा बैठक में भाग लिया गया।

17. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने अपने हैदराबाद भ्रमण के दौरान 31.08.2016 को दुबई के ताजे फूलों के आयातकों के साथ एक बैठक में भाग लिया।

18. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में 18.10.2016 को मसाला बोर्ड, गुन्टुर कार्यालय में कड़ा पत्ती पर आयोजित स्टेकहोल्डर बैठक में भाग लिया।

19. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखण्ड से राज्य स्तर के अधिकारियों की सहभागिता द्वारा जैविक प्रमाणन और एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं पर 21.10.2016 को मैनेज, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया।

20. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने 27.10.2016 को श्री अरबिन्दो कृषि विज्ञान केन्द्र (एसएकेवीके) गड्डीपल्ली में पाल्मयराह पाल्म उत्पादों पर पारस्परिक बैठक में भाग लिया। बैठक में अनुसंधान निदेशक डॉ. जी. सत्यनारायण रेड्डी, एचएलकेटी बागवानी विश्वविद्याल, सचिव, एसएकेवीक, गड्डीपल्ली और डॉ. पी.सी. वेणुगियाह, वैज्ञानिक, खाद्य प्रसंस्करण, डॉ. यूसरू, आंध्र प्रदेश और स्टेकहोल्डर, उत्पाद शुल्क अधिकारी, वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

21. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने तेलंगाना फेडरेशन और आंध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इडस्ट्री (एफटीएपीसीसीआई) द्वारा 15.11.2016 को वियजवाड़ा में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रसंस्करण पर सेमिनार में भाग लिया। डीजीएम (टीएस) ने एचएसीसीपी एवं आईएसओं के कार्यान्वयन के लिए एपीडा की भूमिका और वित्तीय सहायता योजनाओं तथा कैसे एसएसएसएआई, राज्य नीतियां एकीकृत कर सकता है, विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया।

22. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद कार्यालय में 26.11.2016 को ग्रीन हाउस ऑपरेटर्स (ताजे फल एवं फूल) के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉ. ए किरण, वैज्ञानिक, एसआरएस, संगारेड्डी, श्री के के किशोर, निदेशक, आईआरडीएस, हैदराबाद एवं श्री सचिन, सिम्पली फ्रेश, श्री अहमद, हैदराबाद ग्रीन हाउस ऑपरेटर्स ने भाग लिया। डीजीएम (टीएस) ने उपरोक्त बैठक का आयोजन किया।

23. बागवानी प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में एमआईडीएच के अंतर्गत दिशनिर्देशों को अंतिम रूप देने एवं यूनिट लागत मानकों पर जोनल एवं राष्ट्रीय कार्यशाला के संबंध में 11.01.2017 को बागवानी आयुक्त, बागवानी विभाग, तेलंगाना सरकार के साथ एक स्टेकहोल्डर बैठक का आयोजन किया गया।

24. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी (एपीएफपीएस), आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में 17 जनवरी, 2017 को आयोजित निवेशक पारस्परिक कार्यशाला में भाग लिया।

25. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने आईसीआरआईएसएटी कैम्पस, पतनचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना में आईसीआरआईएसएटी द्वारा 28.02.2017 को आयोजित मूंगफली अनुसंधान फील्ड दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।

26. क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने गुंटुर में 25.03.2017 को मसाला बोर्ड द्वारा आयोजित एसपीएस डब्ल्यूटीओ बैठक में भाग लिया और आम विपणन सत्र 2017 पर बागवानी आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बैठक की। दक्षिण कोरिया के आयातक श्री रिचर्ड ली से मिलने के लिए 26.03.2017 को चीपुरपल्ली, विजयानगरम का भी दौरा किया।

10.5.2 क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने अपने पंजीकरण के नवीनीकरण और रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के लिए मांस प्लांट का निरीक्षण किया।

10.5.3 क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने हैदराबाद में निम्नलिखित मांस प्रतिनिधिमंडल का समन्वयन किया।

- इंडोनेशिया मांस प्रतिनिधिमंडल – 31.05.2016 एवं 01.06.2016
- फिलीपींस मांस प्रतिनिधिमंडल – 1 से 3 अप्रैल, 2016
- सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) मांस प्रतिनिधिमंडल – 27 से 29 अगस्त, 2016
- रूसी मांस प्रतिनिधिमंडल – 24 एवं 25 नवम्बर, 2016

10.5.4 31.05.2016 से 2 जून, 2016 तक एमपीआई, न्यूजीलैंड ऑडिट टीम का तिरूपति का दौरा

एमपीआई, न्यूजीलैंड ऑडिट टीम ने 31 मई, 2016 से 2 जून, 2016 तक वीएचटी सुविधा, तिरूपति के निरीक्षण का निरीक्षण किया। न्यूजीलैंड को ताजे आम के निर्यात के लिए तिरूपति में वीएचटी सुविधा के निरीक्षण के लिए तिरूपति में टीम के दौरे के समय श्री टी.सुधाकर, डीजीएम भी उनके साथ थे।

10.5.5 शारजाह, यूएई में 17 एवं 18 दिसम्बर, 2016 को फ्रेश कट फ्लावर के ब्लैक टूलिप फ्लावर्स एलएलसी आयातकों का दौरा

मैसर्स ब्लैक टूलिप फ्लावर्स एलएलसी, शारजाह प्रतिनिधि श्री सादिक और श्री अब्राहम पी. सन्नी, आयातक, फ्रेश कट फ्लावर्स, यूएई ने 17 एवं 18 दिसम्बर, 2016 को कादियाम नर्सरीमैन का दौरा किया। उन्होंने अपनी मध्य पूर्व आवश्यकता और संगरोध एवं परिवहन मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 17 एवं 18 दिसम्बर, 2016 को कादियाम, आंध्र प्रदेश में प्रतिनिधिमंडल के भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद उनके साथ थे। दि नर्सरीमैन एसोसिएशन, कोदियाम और सेम एग्रीटेक लि. ने उपरोक्त दौरे का समन्वयन किया। एनआईपीएचएम ने आगे के कार्यक्रमों को निष्पादित किया।

एपीडा
APEDA

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग,
(खेल गांव के सामने), नई दिल्ली–110016

दूरभाष : 26513204, 26513219, 26526186 फैक्स : 26534870

ई–मेल : headq@apeda.gov.in • वेबसाइट : www.apeda.gov.in